


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India) कार्यालय परियोजना निर्देशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.-।, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)



13013 / 3 / 2023 / प.नि.—बिला. / बिला.—पथ. / फॉरेस्ट / 1 **० 3 2.6**

दिनांक:08.02.2023

प्रति.

वनमण्डलाधिकारी.

वनमण्डल बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:-Diversion of 24.585 ha of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4 Lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur Katghora Section of NH-111 (New 130) in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh.

संदर्भ:--1. आपका पत्र क्रमांक / तक. / 453, बिलासपुर, दिनांक 23.01.2023 2. आपका पत्र क्रमांक / तक. / 455, बिलासपुर, दिनांक 23.01.2023

महोदय.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. (1) माध्यम से आपके द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 25 में उल्लेखित एवं पत्र क्र. (2) के माध्यम से अधिरोपित शर्त क्र. 15 में उल्लेखित शर्ती का पालन प्रतिवेदन हेतु इस कार्यालय को लेख किया गया है। आपके पत्र के परिपेक्ष्य में भा.रा.रा.प्रा. से संबंधित बिन्दु का अभिमत निम्नानुसार है :-

क्र.	आपत्ति का विवरण	भा.रा.प्रा. का अभिमत
1	2	3
1.	भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 1 में अधिरोपित शर्त क्र. 7 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 में दिये गये निर्देशों / प्रावधानों के तहत् दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विस्तृत विवरण देते हुए Penal NPV प्राप्त किया जाना है किंतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्रेषित पालन प्रतिवेदन के बिंदु क्र. 7 में केवल आवेदक संस्थान से वचन पत्र लिया जाकर प्रेषित किया गया है।	The earlier submission of NHAI vide letter 4454 dated 27.09.2019, on the subject matter (enclosed herewith) May be perused. It is further submitted that there is no violation from NHAI.
2	कृपया भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 1 में अधिरोपित उपरोक्त शर्त क्र. 7 में दिये गये निर्देशों के पालन में FCA Voilation हेतु दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही कर विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें। भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 15 में	The earlier submission of User Agency letter no
	प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ Soil conservation plan की प्रति चाही गई है किंतु आवेदक संस्थान द्वारा प्रदायित	4454 dated 27.09.2019 may please refer. (Copy attached). Further, it is to note that soil used for embankment

D:/Documents-Data-Letter Files

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]



मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दुरभाष : 011-25074100 / 200 H.Q.: G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Tele.: 011-25074100/200

वचन पत्र में मृदा संरक्षण योजना की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। कृपया शर्त क्र. 15 के पालन हेतु Soil conservation plan की प्रति प्राप्त कर प्रेषित करें।

and other road construction activities iscarrying from approved borrow area outside ROW. The embankment slopes are protected with either grass turfing/geocell/stone pitching etc. Similarly cross drainage structures are protected by boulder apron at abutment slope and flooring. More over there is side drains on either edges of road for smooth drain out of surface water.

It is therefore, and in line with our earlier submission intimated that no specific soil conservation plan is required in the instant case, due to stated reason.

अभारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 23 में उल्लेख है कि Reclamation plan बनाया जाकर उसकी एक प्रति भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर भेजने के निर्देश दिये गये है किंतु आवेदक संस्थान द्वारा केवल वचन पत्र प्रदाय किया गया है। कृपया शर्त क्र. 23 के पालन हेतु Reclamation plan की प्रति प्राप्त कर प्रेषित करें।

The existing Forest area falls under the category of Revenue Forest. Prior to diversion of the said forest land and realignment under new 4 lane road, theold existing carriageway was passing through villages namely Turkadih,Sambalpuri, Belmundi, saida, Melnadih & Ratanapur etc.

Even after operation of new 4 lane divided carriageways, the earlier existing roads at these corresponding bypass locations are being used by local villagers, for their day today purposes using it to reach their cultivated land, children to go to school and civic works. The sarpanch/Mukhia of those Gram panchayats has appealed this office to retain these roads without demolishing for continual use of public/villagers (copy of letters attached).

It is therefore in the interest of local villagers these roads may be retained and accordingly no reclamation plan for planting suitable species is required.

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 25 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुक्रम में चाही गई अनापित्त प्रमाण पत्र कलेक्टर से प्राप्त नहीं की गई है। कृपया उक्त अनापित्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें। Copy of FRA enclosed earlier in the stage-1 submission, is resubmitted again.

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

सधन्यवाद्।

संलग्न :--उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना निदेशक, प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. अ.प्र.व.सं. (भू—प्रबंध / व.सं.अ) अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर—19 नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित।

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक /1375/ अ.वि.अ. / भू-अर्जन / 2023 प्रति.

बिलासपुर दिनांक 02.02.2023

कलेक्टर महोदय, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर-पथरापाली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 के अंतर्गत पुराने रोड़ का विषय :-उपयोग / अनुपयोग के संबंध में।

परियोजना निदेशक भा.रा.रा.प.का.ई.बिलासपुर का पत्र क्र. 10275 बिलासपुर दिनांक 25.01.2022 संदर्भ :-1.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्र. 4979 दिनांक 14.02.2019

वर्तमान में परियोजना निदेशक भा०रा०रा०प० बिलासपुर द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि पेण्ड्रीडीह से पथरापाली कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 के मध्य कुछ स्थानों पर पुरानी सड़क का कुछ भाग को छोड़कर रोड़ निर्माण का कार्य किया गया है, जिसमें ग्राम तुर्काडीह, संबलपुरी, बेलमुण्डी, सैदा तहसील सकरी एवं तहसील रतनपुर के अंतर्गत प्रभावित ग्राम मेलनाडीह एवं रतनपुर है। संबंधित ग्राम के सरपंचों / पार्षद तुर्काडीह, संबलपुरी, बेलमुण्डी, सैदा, मेलनाडीह एवं रतनपुर के द्वारा अवगत कराया गया है कि पुरानी सड़कों से ग्रामवासियों का आगमन होता है तथा वें उक्त सड़क से अपने खेत तक पहुचने का उपयोग करते है तथा स्कूली बच्चों का आगमन उसी पुराने सड़क से होने के कारण उसे यथावत् रखे जाने हेतु मांग की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

बिलासपुर-कटघोरा सड़क परियोजना के लिए स्टेज 01 की स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्र. 4979 दिनांक 14.02.2019 की शर्त क्र. 23 के अनुसार वन क्षेत्र में पुराने रोड़ के भाग को तोड़कर राज्य वन विभाग को सौपी जायेगी। जिसमें उपयुक्त प्रजातियों के पेड़ लगाकर एवं वन विभाग द्वारा सुधार योजना तैयार की जायेगी। (छायाप्रति संलग्न)

लोकहित एवं प्रचलित लोक प्रयोजन के आवागमन को सुचारू बनाए रखने हेत् ग्राम तुर्काडीह, संबलपुरी, बेलमुण्डी, सैदा तहसील सकरी एवं तहसील रतनपुर के अंतर्गत प्रभावित ग्राम मेलनाडीह एवं रतनपुर स्कूली बच्चों का आगमन उसी पुराने सड़क से होने के कारण उसे यथावत् रखा जाना उचित होगा।

उक्त के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश पुरानी सड़क यथावत् रखने हेतु प्रसुद्धित करना चाहेगें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार। सक्षम प्राधिकारी में अर्जन अर्व अस्तिवासीयां अधिकारी (स्रा) विद्यासमुद्र (छू.गः.)

क्रमांक /137 / अ.वि.अ. / भू अर्जन / 2023

बिलासपुर दिनांक 02.02.2023

परियोजना निदेशक भा.रा.प.का.ई.बिलासपुर को उनके पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेत्।



सक्षम प्राधिकारी मू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं विलोसपुर (छ ग्र) विलासपुर (छ ग्र)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082] [e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

बिलासपुर, दिनांक 23/0/123

प्रति,

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई बिलासपुर डी–61 एच.आई.जी.–1 अभिलाषा परिसर नया बस स्टैण्ड के पीछे तिफरा बिलासपुर (छ०ग०)

विषय :-

Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4- lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh.

संदर्भ:-

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, का पत्र क्र./एफ 5-31/2018/10-2 दिनांक 04/01/2023

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बिलासपुर—कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग 111 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोजना हेतु वन प्ररकण के अंतिम चरण की स्वीकृति शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क. 15 में उल्लेख है कि प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ Soil conservation plan की प्रति चाही गई है किंतु आवेदक संस्थान द्वारा प्रदायिक वचन पत्र में मृदा संरक्षण योजना की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। कृपया शर्त क. 15 के पालन हेतु Soil conservation plan की प्रति प्राप्त कर प्रेषित करें।

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क. 23 में उल्लेख है कि Reclamation plan बनाया जाकर उसकी एक प्रति भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर भेजने के निर्देश दिये गये है किंतु आवेदक संस्थान द्वारा केवल वचन पत्र प्रदाय किया गया है। कृपया शर्त क. 23 के पालन हेतु Reclamation plan की प्रति प्राप्त कर भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को प्रेषित करने हेतु इस विभाग को प्रेषित करें।

उक्त दोनों अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित

करें।

सहपत्रः- शून्य

वनगंडलाधिकारी बिलासपुर वनगंडल बिलासपुर (छ.ग.)

D:/MS Word/Office L-18

-SDMs

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.) OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

कमांक/तक./... 453

बिलासपुर, दिनांक 23 | 0

प्रति,

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई बिलासपुर डी-61 एच.आई.जी.-1 अमिलाषा परिसर नया बस स्टैण्ड के पीछे तिफरा बिलासपुर (छ०ग०)

विषय :-Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4- lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh. संदर्भ:-

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, का पत्र क्र./एफ 5-31/2018/10-2 दिनांक

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग 111 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोजना हेतु वन प्ररकण के अंतिम चरण की स्वीकृति शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क. 25 में उल्लेख है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुक्रम में चाहे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर बिलासपुर से प्राप्त नहीं किया गया है। अनापत्ति प्रमाण

अतएव आप कलेक्टर बिलासपुर का अनापितत प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र:-

वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 01 23

पु.क./तक./ ५५५

प्रतिलिपि :--

कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग्.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषिक्।

वनमंहलाधिकारी इल बिलासपुर (छ.ग.)

D:/MS Word/Office L-18



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority Of India (Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्यम ईवाई, विलासपुर Office of Project Director, Project Implementation Unit, Blisspur की-61, प्यानां औ-1, अधिकाम परिसर, नया पस स्थेणक के पीरी शिक्स, विस्तासपुर (इ.स.) 0-61, HG-1, Abalisaha Pensar, Behird Haser Bus Stand, Tiffa, Bisspur (C.G.) 480007

दूरभाष : 07752-291604 Phone : 07752-291604

Email: plubilaspur@nhal.org Email: plubilaspur@gmail.com



13013 / 3 / 2019 / प.नि.—बिला. / बिला.—पथ. / फॉरेस्ट / 4 4 54 प्रति.

दिनांक:27.09.2019

वनमण्डलाधिकारी,

वनमण्डल बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

বিষয:—4-Laning of Bilaspur to Patharapali from Km. 0+000 to Km 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the state of Chattisgarh under Hybrid Annuity Mode Diversion of Forest land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilition and Upgrading to 4-lane with paved shoulder configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of C.G.-Request for demand Note-Reg.

संदर्भ:—अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध / वं.स.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्र. 2204, दिनांक 04.09.2019 महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं.स.अ.) छत्तीसगढ़ द्वारा निम्न बिन्दुओं पर पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन चाही गई है:-

S. No.	Conditions	Undertaking/Compliance
1	2	3 .
√ii	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guidelines dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A details report in this regard shall be submitted along with the compliance report	टीप— अद्यतन स्थिति में प्रेतिवेदन दे कि प्रकरण में वनसंख्या अधिनियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं ? यदि हुआ है त गाईड लाईन दिनांक 29.01.2018 के अनुसार एन.व्ही.पी.पेनाल्ट का वनमंडलिधकारी से डिमांड नोट जारी करावें। यदि नहें हुआ हो तो तदाशय की पुष्टि वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त के जावें। NHAI Reply:-There is no violation from NHAI becaus No work is started in Forest diverted area befor issuance of Stage-I clearance letter & submission on NPV/CAMPA funds. 2. Work is started in forest area only after tree cuttin where tree cutting is done for forest department itself, hence there is no violation from NHAI as well a forest department.
Viii	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	टीप :- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व बिन्दु क्रमांक 07 एफ अनुसार यदि सडक चौडीकरण 20 मीट से ज्यादा तथा लंबाई 30 कि.मी. से ज्यादा हो तो पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक होगी। इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक क्यों नही है इसके बारे में आवेदक संस्था से को टीप प्राप्त नहीं है आवेदक संस्थान से औचित्य सहित प्रतिवेदा पत्र प्राप्त किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकत क्यों नहीं है ? संबंधित निर्देश / नोटिफिकेशन की प्रति भ संलग्न की जावें। तदुपरांत वनमंडलाधिकारी का एवं स्वयं व अभिमत उपलब्ध करावें।

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]

posenson.

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200 H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Telephone No. : 011-25074100 / 200

		NHAI Reply:-In this regard please take reference of Ministry of Environment & Forest notification no SO 2559(E) dated 22/08/2019 modified principal regulation & Now environment clearance is only required for project with Expansion of national highway greater than 100 km involving additional right of way or land acquisition greater than 40 m on existing alignments and 60 m on realignments or by passes. 2. It is very much clear that the project length is only 53.300 Km & ROW is less than 60m hence Environment clearance is not required in subject project. Copy attached as Annexure A.
Xv	The User Agency shall prepared and implement a comprehensive Soil Conservation plan in the forest area being in consultation in the State Forest Department at the project cost. A plan on the same shall be submitted along with the compliance report of the Stage-I approval.	टीप- मृदासंरक्षण योजना की अनुमोदन प्रति प्रेषित करें। यदि मृदा संरक्षण योजना की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी स्थिति में औचित्य बताते हुए वनमंडलाधिकारी का अभिमत स्वयं के अभिमत सिंहत उपलब्ध करावें। NHAI Reply:- All the forest area diverted for purpose of construction of NH & will be utilized for construction of roads. Since no balance area will be left after construction of road, Hence soil conservation plan is not required.
XXV	The User Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in the project. Brid's nests artificially made out of ecofriendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	टीप-एवीफीना योजना की अनुमोदित प्रति उपलब्ध करावे। NHAI Reply:- No avifauna affected in project.

अतः आपसे निवेदन है कि अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं.स.अ.) छत्तीसगढ़ द्वारा चाही गई उक्त बिन्दुओं पर पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन के संबंध में आवयक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद् ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय परियोजना निदेशक, प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]

D:/Documents-Data-Letter Files

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2013

S.O. 2559 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1980 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas the Government of India in the Ministry of Environment and Forests had constituted a High Level Committee under the Chairmanship of Member (Environment and Forests and Science and Technology), Planning Commission, vide OM No.21-270/2008-IA.III dated the 11th December, 2012 to review the provisions of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 relating to granting Environmental Clearances for Roads, Buildings and Special Economic Zone projects and provisions under the OM dated the 7th February, 2012 issued by the Ministry of Environment and Forests regarding guidelines for High Rise Buildings;

And whereas one of the terms of reference (ToR) of the Committee was to review the requirement of Environmental Clearance for highway expansion projects upto the right of way of 60 meters and length of 200 kms under Environmental Impact Assessment notification;

And whereas the Committee has submitted its report to the Ministry and on this ToR, the Committee has recommended exempting highway expansion projects from the requirement of scoping and that Environmental Impact Assessment or Environment Management Plan for highway expansion projects may be prepared on the basis of model ToRs to be posted on Ministry's website and in respect of requirement of environmental clearance, the Committee has recommended that expansion of National Highway projects up to 100 kms involving additional right of way or land acquisition upto 40 mts on existing alignments and 60 mts on re-alignments or by-passes may be exempted from the preview of the notification;

presiden

And whereas the report of the Committee has been examined in the Ministry of Environment and Forests. Earlier, vide notification S.O.3067(E), dated the 1st December 2009 all State Highway expansion projects, except those in hilly terrain (above 1000 m AMSL) and ecologically sensitive areas, have already been exempted from the purview of the Environmental Impact Assessment notification, 2006.

And whereas, keeping inter-alia in view the foregoing, the Ministry of Environment and Forests has decided to accept the aforesaid recommendations of the High Level Committee constituted vide OM No.21-270/2008-IA.III, dated the 11th December 2012;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely:-

- 2. In the said notification, -
 - (a) in paragraph 7, in sub-paragraph II, for item (i), the following item shall be substituted, namely:-
- (i) "Scoping"refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category A 'projects activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion or modernization or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought and the Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the terms of reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form 1 or Form 1A including terms of reference proposed by the applicant, a site visit by a subgroup of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned:

Provided that the following shall not require Scoping-

 all projects and activities listed as Category 'B' in item 8 of the Schedule (Construction or Township or Commercial Complexes or Housing);

premora

(ii) all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column(3) and column (4) under sub-item (f) of item 7 of the Schedule:

Provided further that-

- A. the projects and activities referred to in clause (i) shall be apprised on the basis of Form I or Form IA and the conceptual plan;
- The projects referred to in clause (ii) shall prepare EIA and EMP report on the basis of model TOR specified by Ministry of Environment and Forests;
- (b) in the Schedule, against sub-item (f) of item 7, in column (3), for the entry (ii), the following entry shall be substituted, namely:-
 - (ii) Expansion of National Highways greater than 100 km involving additional right of way or land acquisition greater than 40m on existing alignments and 60m on re-alignments or by-passes."

[F.No. 21-270/2008-IA.III]

Ajay Tyagi Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

- 1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
- 2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
- 3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
- 4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012; and
- 5. S.O.674(E), dated the 13th March, 2013

poenda.



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India) कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.- |, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)



दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in

14012/1/2023/प.नि.-बिला./बिला.-पथ./भू-अर्जन/1027-5

दिनांक:25.01.2023

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी (भू—अर्जन), एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर, जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- विलासपुर-पथरापाली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 के अंतर्गत पुराने रोड़ का उपयोग/अनुपयोग के संबंध में।

संदर्भ:--1. ग्राम सरपंच तुरकाडीह का पत्र क्र. 118, दिनांक 21.01.2023

- 2. ग्राम सरपंच सम्बलपुरी का पत्र क्र. 24, दिनांक 21.01.2023
- 3. ग्राम सरपंच बेलमुण्डी का पत्र दिनांक 21.01.2023
- 4. ग्राम सरपंच सैंदा का पत्र दिनांक 23.01.2023
- 5. ग्राम सरपंच मेलनाडीह का पत्र दिनांक 23.01.2023
- 6. श्री संजय कोशले, पार्षद वार्ड क्र. 11, नगर पालिका परिषद रतनपुर का पत्र क्र. 11, दिनांक 23.01.2023

महोदय,

जपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा पेण्ड्रीडीह से पथरापाली भा.रा.रा.संख्या 111 (नया 130) के प्रस्तावित कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 तक वर्तमान में फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- वर्तमान में पेण्ड्रीडीह से पथरापाली कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 के मध्य कुछ स्थानों पर पुरानी सड़क का कुछ भाग (ग्राम—तुरकाडीह, सम्बलपुरी, बेलगुण्डी, सैंदा, एवं अनुविभाग कोटा के अंतर्गत प्रभावित ग्राम— मेलनाडीह एवं रतनपुर) को छोड़कर रोड़ निर्माण का कार्य किया गया है।
- असंबंधित ग्रामों के सरपंचो / पार्षद (ग्राम-तुरकाडीह, सम्बलपुरी, बेलमुण्डी, सैंदा, एवं अनुविभाग कोटा के अंतर्गत प्रभावित ग्राम- मेलनाडीह एवं रतनपुर) द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि पुरानी सड़क से ग्रामवासियों का आवागमन किया जाता है, अतः उक्त सड़क को यथावत रखने हेतु लेख किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
- 4. अतः आपसे निवेदन है कि पुरानी सड़क को ग्रामवार यथावत रखा जा सकता है कि नहीं और क्या पुरानी सड़क से ग्रामवासियों का आवागमन किया जाता है, उक्त संबंध में अपना अभिमत इस कार्यालय को देने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

सधन्यवाद्।

संलग्नः--उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना निदेशक, प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

D:/Documents-Data-Letter Files

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200 H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Tele. : 011-25074100/200

कार्यालय ग्राम पंचायत सेदा

जनपद पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

श्रीमती सरस्वती बाई गढ़ेवाल

सरपंच

मोबा.: 9691325431



श्रीमात जागेश्वर प्रसाद चादव

उपसरपंच

मोबा.: 8319347802

Gria 2361 2.23

पंचगण श्रीमती आशा मरावी श्रीमती बिमला बाई उइके श्रीमती केरा बाई भार्गव श्रीमान कृष्णकृमार नेताम श्रीमान फागुराम ध्रुव श्रीमान अशोक यादव श्रीमान अनिल कुमार दुवे श्रीमान गिरिश कुमार तिवारी श्रीमती ऋचा दुवे श्रीमती पृष्पा बाई दुवे श्रीमती नशिमा खान श्रीमती अंजनी बाई श्रीवास श्रीमान राजेश दुवे श्रीमती सरिता सूर्यवंशी श्रीमती गायत्री बाई सूर्यवंशी श्रीमान रवि आनंद सूर्यवंशी श्रीमान उत्तम कुमार लास्कर श्रीमती लीला बाई केंवट श्रीमती गोमती बाई धीवर

gh. परियोजना निद्धान N.H. 130 PUET GOTTUST ज्याम पंचा स्वा (पाँड) NH.130 के 39?-प्राणा भेर की मही लेड़ते के खंब धा में। -सहीदम-स्पादर निवेषम है कि गा. पं सेदा (पांड) में निर्मित - NIY 130 के कपर अरोने की की आया असे उतामिका आने जाने जाने जाने हैं। स्तयं अपने रहे ती तन पहुंचने का भी मार्ग है। यि उसे तोड़ा जाता हूँ ली भामीकी, किसा की क्ष्ये रख्यी जन्मी का भावगामा अवश्रद्ध हो पाछी अतः महोष्य से निवेषन है कि उस्त प्राने रोड की न लोड़ने का स्पाब्दे Burhena 23/01/2023

ÿ

कार्यालय : ग्राम पंचायत तुरकाडीह

जनपद पंचायत - तखतपुर, जिला - बिलासपुर (छ.ग.) सरपंच - श्री संतोष कुमार पटेल मो. - 62634-50167

Baria 21 01 2023 पत्र क्रमांक - 118 चिति, चारकीयना निर्डाठ NH- 130 लिया- विकासप् विषय:- मा पं - त्रगडीर में NH- \$20 हे हुआ पुरामा राड का महीं लाइने के से को ध में मार निर्वाद है कि गा. पं. - डर्गडीर में निर्मात NH-130 के डिए पुराने रोड में आण भी गामीतों के आने- जान का उमुख मार्ग है। रूप अंपने खेतां रह पहुचने का भी मार्ग है। महाट्य उस लिड़ा जाता है तो उरामी तो, छिलीनां, स्कूरो वान्नों का आवागमन अव उन्हें हो प्रामगा। ्यातः महादम् क्र निर्वदम् है डि उक्त पुराने कड़ेन की कृपा करें D.P. Whombe Aranilyor your भ्राम पंचायत-तुरकाडीह 212/min जनभद पंचायत-तखतपुर लिशिश्राय Botol

कार्यालय ग्राम पंचायत सम्बलपुरी

जनपद पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ ग)

ं _{सरपंच} राजेश कौशिक



मोबा 9131545568 9826666812

あ. 24

दिनांक २१-01-2023

* पंच *

01 नारायण प्रसाद कौशिक * *

02. श्रीमती गायत्री बाई साहू * *

03 बिजेन्द्र साहू * *

०४. ह्याशंकर वस्त्रकार

4. द्याराकर परत्रक

05 श्रीमती लक्ष्मीन बाई साहू * *

06. अंबिका प्रसाद कौशिक * *

07. सुरेंद्र कुमार सूर्यवंशी* *

08. श्रीमती जमुना बाई सूर्यवंशी

09. कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ४. ४

10. श्रीमती शशिकला कौशिक * *

11. श्रीमती जानी बाई यादव * *

12. श्रीमती सुशीला गढ़ेवाल * *

13. श्रीमती रमाबाई सूर्यवंशी * *

14. श्रीमती दुर्गा बाई कौशिक

15. श्रीमती वृन्दा देवी सूर्यवंशी

प्रति,

परियोजना निर्देशक NH- 130 जिला बिलासपुर

विषय – ग्रा. पं. संबलपुंरी में NH- 130 के ऊपर पुराने रोड को नहीं तोडने के संबंध में ।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्रा. पं. संबलपुरी में निर्मित NH- 130 के ऊपर पुराने रोड में आज भी ग्रामीणों के आने जाने का प्रमुख मार्ग है एवं अपने खेतो तक पहुँचने का भी मार्ग है व संबलपुरी से बिलासपुर तक पहुँचने का मुख्य मार्ग है। यदि उसे तोड़ा जाता है तो ग्रामीणो, किसानो, स्कुली बच्चों का आवागमन अवरूद्ध हो जायेगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्कत पुराने रोड को ना

ग्राम पंचायत सम्बलपुरी जन,पंचायत तखतपुर

O 21 EM 21 E O SKAWLIK

ही आम लाडू

ि रामकुमार

(F) Trope

रामपर्ग

(10) केव्यामा

ण) क्रेश

1 नारायन

सरपंच

ग्राम पंचायत सम्बलपुरी

कार्यालय, ग्राम पंचायत-बेलमुण्डी

रामकुमार **कौशिक** मो. 2753007221 8770558474 सरपंच

ग्राम पंचायत -बेलमुण्डी,जनपद पंचायत तखतपुर

निवास :-

ग्राम-बेलमुण्डी, पो. सकर्रा,

जिला-बिलासपुर (छ०ग०)

दिनांक 23-01-23

प्रति

परियोजना निर्देशक WH-130 जिला विलासपुर (इ.ग.)

विषय — गाम पंचायत केलपुन्डी में NH-130 के उत्पर पुराना रोड की नहीं तोड़ने के सर्वाध में /

महोदय - सापर निवेदन है कि छा पंचायत केल पुण्डी में - निर्मार्त NH-130 के साईड में काने पुराने रोड की छामीगों हारा अपने स्वेत एवं घर आने जाने अपूस भागी - है यदि उसे बोड़ा जाता है तो छामीगों कियानों एवं

कालिंडियों कीलवासरी वाले गांडी मीटट हेतु अवांगमेन में बाह्य

उत्पद्म हो अभिगा । महादय से निर्वदन है कि अनत प्रमो

रोड को मा रोड़ा जामें | टीष: पंचमुकी हनुमान में दिए के पास -

सर्पच ग्राम पंचायत बेलमुण्डी ज.पं.तखतपुर, जि.विलासपुर (छ.न.)

भारताम की बिक कियां क्रिकां

कार्यालय ग्राम पंचायत मेलनाडीह

जनपद पंचायत कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सर्पच श्रीमति लक्ष्मीन बाई जगत मो. 6265205635



उपसर्पं च श्री पंचराम खुसरो मो. 6264763734

29101/2023

* पंचगण *

1. श्रीमति मनियारा बाई नेताम

2. श्रीमति लक्ष्मीन बाई मरावी

3. श्रीगति मीना बाई स्थाम

4. श्रीमित रामकली वादव

5. श्री मास्कर राज्

6. श्री गोपाल पसाद गोंड

7. श्रीमित सासती बादव

8. श्रीमित शांती बाई पोंड

9. श्री रमेश कुमार गाँड

10. श्रीमित शिवकुमारी कोल

सचिव

श्री शिव कुमार कश्यप मो. 8839461147

- Sung Targul

Trans 2144094169 AUMBI JUNA गायती प्रशान

tola

प्रार्थानमा रिग्विश्व NH - 130 Poter o fairthy2

PART - SIM YOUNG HONSTER NH-1303 द्वार लालाक हैं मेड़ हो गरी लोड़ों हे मेंकहा है

ndlay

सार्थ सम्म निवेदन है वि हमोद्यान 4-130 934 JA-130 9346 जना लालाब के मेड हैंव देवालय और एक वर्ममान्यल - 41 AF-42 345 2145 - EM-419 34 8/305 2125 तो मार्गवर एवं वेबालम क्या लालाव का मेड द्रामाटल हो आवुगा /

Ona! अहोद्या से जिल्दा है कि डिक्स लाजान की मंद्र की मही मोदी मोद्रें के किया

> प्य महामाडीह,ज.पं. कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

संजय कोशले

पार्षद वार्ड क्र.11 नगर पालिका परिषद् रतनपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय/निवासः दरीपारा रतनपुर विकासखण्ड-कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.) मो.- 6266291785

死. //

प्रिल

दिनांक : . 23-01-2023

4/221 WAT FAZALD NH-130 MANT FOR 12486

- विधव - वार्ड क. 11 रतिपारा N. H. 136 के वागल के प्रामा बोड को नहीं लोइने के तिबंध में 1

महोपप.

सादा नियंपन है कि नगर पानिका परिषद

राता नियंपन है कि नगर पानिका परिषद

राता की कर ।। दरीपारा में निर्दात N. H. 130 के
लगल में पुराने दोड़ में आज भी गागीण मंचा रूमली
अरची का आने जाने का रह मात्र पुरुष मार्गा
है तथा आल-पाल क्षेत्र है लोग्ने का भी आगा
जागा देला है। पी उसे तोड़ा जाता है तो
बिसान, आम नागरिकी तथा स्कूली करवी की
अस्मानमा अवदिष्ठ हो जाये गा

पुराने कोड के नहीं लोड़ा with

जाम वासी संदर्व अपका आकारीर है।

संख्य कोशले २३ पार्षद वार्ड क. १ १ . दरीपारा नगर पारितका परिषद स्तनपुर

Annexure-I

FORM-I

(For liner projects)

Government of Chattisgarh

Office of the District Collector

No. - 1104/02020/540 26020202020 -

Dated:02/06/2016

To WHOWSOEVER IN MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of environment and Forests (Moef), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the Moef issued guidelines on submission of evidence for having initiated and complete the process od Settlement of rights under the schedule Tribes nd other traditional Forest Dwellers (recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with Moef's letter dates 5th February 2013 wherein MoEF issused certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that Govt. of India for widening of existing Road in Bilaspur District falls within Jurisdiction of Pendridih Village in Tehsil Bilha, Beltara, Limha, Korbi, village in Tehsil Bilaspur, Bodsara Amsena, Belmundi, Pand, Sakri, Lokhandi Village in Tehsil Takhatpur and Ratanpur, Melanadih, Karra, Jaali in Tehsil Kota.

It is further Certified that:

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 24.585 Ha. Of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gramsabha(s), as annexure II to XV.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gramsabha have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls: As above

(Full name and office) 15 110 instrict Collector)

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा बिलासपुर (छ0ग0)

:: ज्ञापन ::

क्रमांक / \\ भू०अ० / स०अ०भू०अ०-6 / 2018

बिलासपुर दिनांक 🔾 🗸 /06 / 2018

प्रति.

परियोजना निदेशक. प0का0ई0, बिलासपुर (छ0ग0) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.)

- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) ग्राम पेण्ड्री से ग्राम पथरापाली के अंतर्गत विषय:-प्रभावित राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने बाबत्।
- परियोजना निदेशक, प0का0ई0, बिलासपुर (छ0ग०), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संदर्भ :-प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक / 13013 / 3 / 2018 / प.नि. – बिला. / बिला.-कटघोरा / फॉरेस्ट / 1921, दिनांक 15.05.2018.

~~000~~~

विषयान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) ग्राम पेण्ड्री से ग्राम पथरापाली के अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि का अनापित्त प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र फार्म-1 में आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

पृ०क्रमांक / भू०अ० / स०अ०भू०अ०-६ / २०१८

बिलासपुर दिनांक 🔾 /06/2018

- 1. वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
- 2. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिलासपुर/कोटा/बिल्हा की ओर सूचनार्थ।



अपर कलेक्टर

E:\Computer-1\Aslr-4, Bhatti Sir\Letter.docx

Semi Panidray (YP)

ग्राम समा पेन्डरीडीह की बैठक दिनांक 14/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्रामः

पेन्डरीडीह

स्थान:

ग्राम पैचायत पै०ईडिडि दिनांक 14/64/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम पेन्डरीडीह के सरपंच श्री/श्रीमती (1944) व्यक्ति की अध्यक्ता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के

- ग्राम पेन्डरीडीह में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु किर्जिक है. वन भूमि एवं 2.178 है. राजस्व वन भूमि, कुल 2.178 है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम समा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित हैं, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा

CHEST 136	या गया है:-	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक	रकबा (हे.में)
क्र.	ग्राम का नाम	वन आधकार नान्यता पत्रा बारपः	\$550000 ME 10/4.
21/2		का नाम	
			-

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि किर्दिक है, वन भूमि / 2.178 है. राजरव वन भूमि, कुल योग 2.178 है. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

नाम दिलासी काह

125 HALL (4.1.)

कार्यालय ग्राम पंचायत ेष्ट्रीहोट जनपद पंचायत जिल्ला है... जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

E E E E E E E E E E E		.8
में अहाजाता महत्त्वात (२०००) अत्रताव मुन्न के कहाजाता महत्त्वात (२०००) अत्रताव मुन्न के कहाजाता महत्त्वाता (२०००) अत्रताव मन्न के कहाजाता कर कहाजा कर कर कहाजा कर कहाजा कर कर कहाजा कर क	20	उपस्थित सदस्यों का नाम
स्ट्रान केर्ड पेड्रेट्र पेड्रेट्र पेड्रेट्र केर्ड्र पेड्रेट्र केर्ड्र पेड्रेट्र केर्ड्र पेड्रेट्र केर्ड्र पेड्रेट्र केर्ड्र पेड्रेट्र केर्ड्र पेड्रेट्र केर्ड्र पेड्रेट्र केर्ड्र पेड्रेट्र केर्ड्र केर्ड्र केर्ड्र पेड्रेट्र केर्ड्र केर्ड्	3	विषय
भी निया निया ने अपयोजन ने पेर्ट्सिट में निया ने कार्या के कार्योजन ने प्राप्त के निया ने कार्योजन ने प्राप्त के निया ने कार्योजन ने प्राप्त के निया ने कार्योजन के प्राप्त के निया ने कार्योजन के प्राप्त के निया ने कार्योजन के प्राप्त के के के कार्योजन के प्राप्त के प्राप्त के के के कार्योजन के प्राप्त के प्राप्त के के के कार्योजन के प्राप्त के प्राप्त के कार्योजन के प्राप्त के कार्योजन के प्राप्त के कार्योजन के कार्योजन के प्राप्त के कार्योजन	A A	बैठक के कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1000 ATT 10	tn	प्रस्ताव जो पास हुआ
A STATE OF THE STA	6	जो उप सदस्यों के झा हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत वेण्डीडीह ब.प.दिन्हा, जि.पंतासपुर (छ.ग.)

Coral Series into

ग्राम सभा बोड़सरा की बैठक दिनांक राज्य / 2018 का कार्यवाही विवरण

	100 SEEL NO.
ग्रामः	बोड़सरा
स्थानः	भारत निम्निश्च राज्यि दिनांक 24/2018 प्रेया केन्द्र की इसारी
	आज दिनांक दी / १६५ / २०१८ को ग्राम बोडसरा के सरपंच श्री / श्रीमती के
सदस्य	मनियान ज्यारियान थे। बेटक में निम्न विषया पर पंजा पर पंजा
1. वानिकी	ग्राम बोइसरा में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु जिल्हा है. वन भूमि एवं 2.9779 है. राजस्य

वन भूमि, कुल 2.9779 है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उददेश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिशेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा

क. ग्राम का नाम वन आधकार मान्यता प्रश्ना नाम	क रकबा (हे.में)
--	-----------------

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि जिल्का है. वन भूमि / 2.9779 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 2.9779 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

OCA.

इस्ताक्षर इस्ताक्षर नाम जुला एं के जार साह

संलग्न:-ग्राम समा का विवरण।

स्रश को शिक



रजिरटर-बोइसरा पंचायत के बैठकों की कार्यवाही, रथान : राजीव रोवा केन्द्र, बोइसरा



16 16		10 9	4 10 10	W N H	14	191	-
16 श्रीमती कमलेश कॉशिक, वार्ड-15 17 श्री चंद्रिका श्रीवास, वार्ड-16 18 श्रीमती सतरुपा श्रीवास, वार्ड-17	11 श्री शिवकलेश कॉशिक, वार्ड-10 12 श्रीमती शैलवाई कौशिक, वार्ड-11 13 श्री सुरेश कौशिक, वार्ड-12 14 श्री पुष्पेन्द्र कौशिक, वार्ड-13 14 श्री पुष्पेन्द्र कौशिक, वार्ड-14	7 श्रीमती पुनियाबाई मरकाम, वार्ड-6 8 श्रीमती ठिगयाबाई मरावी, वार्ड-7 9 श्री लक्ष्मण नेताम, बार्ड-8 10 श्री चंद्रकुमार यादव, वार्ड-9	श्रीमती सुशीला कॉशिक, वार्ड-3 श्रीमती धनाबाई कैवर्त, वार्ड-4 श्रीमती जानकी बाई मानिकपुरी, वार्ड-5	1 श्री सन्तोष कुमार साद्द्, सरपंच पंचगण - 2 श्री एमेश बिएको, वार्ड-1 3 श्रीमती विमला मानिकपुरी, वार्ड-2	2	उपस्थित सरपंच/ एवं पंचों के नाम	
	में 9क्सावत अध्यक्ष्यक्ष्म	प्रधानाताती ० : ००० स्टब्स् १ १०० कि मीस १ तक जिला	अवस्था ।।। (ज्या ।य)	प्रस्ताव क्र.ळ २ डि.के.टि. २ डि.के.टि.	3	विषय	d
SIELS.	प्राच्या काम को वि	अंतर्गत ग्राम जिल्लाम यान रोड टाईक्ला के क्रिक्त काम जिल्लाम	उपादिकत सभी हाइस्टोर में निर्धा कि विद्या कि	आज दिनांक	4	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	जनपद पचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
	*			सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ	On.	प्रस्ताव जो पास हुआ	
	28		Ω¥-	उपस्थित प्र के हस्ताव कार्यवाही	6	उपस्थित पं के हस्ताक्ष	,



रजिस्टर-बोइसरा पंचायत के बैठकों की कार्यवाही, रथान : राजीव सेवा केन्द्र, बोइसरा जनपद पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

17 16 15 14 13 12 11 10 0 0 7 0 5 4 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1	le.
1 श्री राज्योध कुनार साहू, सरपंच पंचगण - 2 श्री एमेश बिरको, वार्ड-1 3 श्रीमती विमला मानिकपुरी, वार्ड-2 4 श्रीमती घनाबाई कैवर्त, वार्ड-3 5 श्रीमती घनाबाई कैवर्त, वार्ड-4 6 श्रीमती घनाबाई कैवर्त, वार्ड-4 6 श्रीमती जानकी बाई मानिकपुरी, वार्ड-5 7 श्रीमती जानकी बाई मानिकपुरी, वार्ड-5 7 श्रीमती जानकी बाई मरावी, वार्ड-7 9 श्री लक्ष्मण नेताम, वार्ड-8 10 श्री चंद्रकुमार यादव, वार्ड-9 11 श्री शिवकलेश कौशिक, वार्ड-10 12 श्रीमती शैलबाई कौशिक, वार्ड-11 13 श्री सुरेश कौशिक, वार्ड-13 14 श्री पुष्टेन्द्र कौशिक, वार्ड-14 16 श्रीमती कमलेश कौशिक, वार्ड-15 17 श्री चंद्रिका श्रीवास, वार्ड-16 18 श्रीमती सतरुपा श्रीवास, वार्ड-16 18 श्रीमती सतरुपा श्रीवास, वार्ड-17	2	उपस्थित सरपंच/ एवं पंचों के नाम
अस्ताव हे. वाटकीय यादका ।।। (बहा ।क) वेद्व देखेले प्रधाराधार्की में अवस्पू पास (स्कार्वा	ယ	विषय
आज दिनांक	4	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
भर्ताव प	Ch	प्रस्ताव जो पास हुआ
उपस्थित के हस्सा कार्यवा है -	6	उपस्थित के हस्ता

ग्राम सभा अमसेना की बैठक दिनांक 2/1./0.4/2018 का कार्यवाही विवरण

अमसेना

स्थानः

C)=1140 5/41

दिनांक 24 /04 / 2018

आज दिनांक र्थ / 0.4 2018 को ग्राम अमसेना के सरपंच श्री / श्रीमती अंग्रेड को हिए की अध्यक्ता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 💯 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:--

- ग्राम अमसेना में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु किल्कि है. वन भूमि एवं 0.3338 है. राजस्व वन भूमि, कुल 0.3338 है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम समा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सडक चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित हैं, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा

DEXT 146	या गया है:-	Character transmitted	रकबा (हे.में)
新.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	Acet Total

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि _____ है, वन भूमि / 0.3338 है. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.3338 है. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

> हररपक ग्राम पद्मामतम् अनत्। वाम प्रवायत - अश्राती जनपद पंपायत - तत्वतपुः धनपद ण्यागृत च तत्वतपूर

सील

संलग्न:-ग्राम समा का विवरण। (1) मालकी लिडि धन्य -प्रक्रिया (वंच) (ह) स्पट्टवर्म वाहि देख

© क्रिम कुमारी मॉशिस

कार्यालय, ग्राम पंचायत अमसेना, विकासखण्ड-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) बैठक कार्यवाही विवरण पंजी/ग्राम सभा बैठक/ स्थान : ग्राम पंचायत भवन, प्रस्ताव नकल कापी अमुसना

भी शिवशंकर साह, पंच श्रीमती तिलकुंदर कॉशिक, पंच भी इन्द्रलाल जिलोकी, पंच श्री राजकुमार कोशिक, पंच श्री आशा राम कोशिक, पंच भीमती शिवकुमारी कांशिक, यंच पुरुगा हु 'पूर्य श्रीमती राधिका लिबटीं, पंच श्रीमती पुष्पादेवी गढेवाल, पंच श्री इतवारी लाल गढ़ेवाल, पंच श्रीमती सरस्वती बाई साह्, पंच श्रीगती मालती श्रीवास, पंच श्रीमती चंद्रिका कौत्रिक, पंच श्री विजय कोशिक, पंच श्रीमती केंबरा बाई कोशिक, उपसरपंच श्री भुवनेश्वर शर्मा, पंच श्रीमती अंगेश्वरी कौशिक, सरपंच उपस्थित सदस्यों, पंचगणों के नाम अधिक के के के के कार्य कार्य के कार्य कार THEIS AD 675 LOQUES alle go, 48, 400 GRUB LOSEIL CHOPPINE LIE FLY D. 171019 160 - 45 शरहा 88, बास के 101 के 101 अभावाकी कर्रुगोर 12 एक 111 (HZIT/30) Bankarage - 81314 Ca 2100 200 4018 - 546 Romand विस्तान कर्य तान व्यायतं - अवस्ता विषय भिर्द आम्ड कि निर्देश होस्त कुरि, 12481 है. मिर्स Onlie, ale 20 100 100 100 28: 2018 (Deliver By Chairs 12 101 2018 3 tale (Myo) GISLEINE LED DRIE HOW HILLE LED मियार प्राया कि उक प्रकाशका प्रायम WHEN SOME GORDEN - PULDE THE Shorte Julou/2018 8) - 2724-4 Sylvalia Para To priconality leither may la की गई कार्यवाष्टी की संक्षिप्त विवरण अस्ताव न्यार्थ जनपद पदायस - तस्त्रतपु & Tours वाग प्रथमत - अमस्तिन पारिला (कार्य) प्रस्ताव जो पास हुआ मिर्ह पंचों का हस्स अंगुटे की 2 2

बैठक दिनांक अपार्था व

ग्राम सभा बेलमुण्डी की बैठक दिनांक 🖽 / 👊 / 2018 का कार्यवाही विवरण

गामः

बेलमुण्डी

स्थानः

4412/Nºn97

दिनांक 14/4/4/2018

आज दिनांक 14 /04/2018 को ग्राम बेलमुण्डी के सरपंच श्री/श्रीमती रेशकुरा मि है आ की अध्यक्ष्ता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 🕽 💪 ... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

- ग्राम बेलमुण्डी में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु है. वन भूमि एवं 1.3354 है. राजस्व वन भूमि, कुल 1.3354 है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन मूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर प्रंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा

रित कि	या गया है:-	ि प्रचाना प्रचा धारक	रकवा (हे.में)
事.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पन्ना धारक का नाम	
		S Defen Stell 1070 Stb. Al	7 × × × × × ×

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 🎎 🗓 हे. वन भूमि / 1.3354 हे. राजरव वन भूमि, कुल योग 1.3354 है. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावें।

ग्राम पंशायत बेलमुए त्रे.सं.संयान्यून, जि. विलासपुर(छ.ग.) शील

संलग्न:-ग्राम समा का विवरण।

कार्यालय ग्राम पंचायत ...केल्यक्र क्रि....., जनपद पंचायतअंद्रतक्ष्यक्, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

· 111年 公别 | \$00

बैठक के कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण पास हुआ हस्ताक्षर	4	याता के अर्थातावर्षा का कामाता गांत एन कर कर क	केण गण / इमर्छ अहमस्त न्य, 30	the fairly solds for the	1/2 4 11 01 Saleg 1/4 2 2 2 61 11 2 - 30 Exertity	2 do 2 1790 19112 416	Theuchy & 47 6, 281 (2 mg 12:4:18		125 10 (0) 2 321 10 1 235 1 1 3 35 1 4 5 5	STATE OF STA		11-14 38 10 CO 12 SET	with cother of agencia anima
बैठक के कार्य		1.04.20(8 a)	amisos to	124 St 42	DIDS IN I	LI SAN S COLD	1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	aftermy.	25/0/0/ 2 25 18.	F Bit en ca	TA COST	They have	たずをむちん
विषय बैठक के कार्य	3	96.29.25 21.04.2013 3 3737 14.04.2018 00 3	Ed Sa.	tamo water occur soral	soft walker of the sulfe	2x 12 1 4 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	my 3 BARY FAMICALE & C	of appeal	125/0/0/ 1 23 HOT 2157 (6)	क्रमेड देरे हम्	STAN CONT.	STANKA PART	いたよるたかん
		29.50	Jo-	famon is	सरकामीशाइ (वन्) डिसेट अमिरिट न ११ डा	X12 72781891	स्त्रमाड स्केश्री क्या गया है सक्ष में मियाटमार है	इस्प्रेम इस्ट्री (देन)	3714 Apr (4-4)	क्षान्द्र देक (क्षांक्र)	क्षित्र कद्र (क्य)		(6-7)

प्रदर्श - "ब"

नगर पंचायत सकरी की बैठक दिनांक 23/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम:-

नगर पंचायत सकरी

स्थान.-

सकरी नगर पंचायत सभाकक्ष

दिनांक 23/04/2018

आज दिनांक 23/04/2018 को नगर पंचायत सकरी के अध्यक्ष श्रीमति वंपा दरस पनिक की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में सामान्य सभा के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर बर्चा की गई—

1— नगर पंचायत सकरी में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विलासपुर (छ. ग.) ने (गर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निरंक है. वन भूमि एवं 2,0118 है. राजरव वन भूमि, कुल 2,0118 है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2— प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयो बाबत सामान्य सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के पिरप्रेक्ष्य में अनुसृक्षित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर वर्षा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौडीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित हैं, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:--

Φ.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे. में)
1	सकरी	निरंक	िश्यक

अतः यह एकमत से सामान्य सभा में निर्णय लिया गया कि निरंक है. वन भूमि/2.01% है. राजस्व वन भूमि, कुल योग 2.0118 है. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एव प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

उपस्थित पार्षदों / एल्डरमेन के हस्ताक्षर

अध्यक्ष भगर वैद्यावसं संकरी

1- वार्ड क. 01 मानियादव 2- वार्ड क. 02

वार्ड के. 03

श्रीमति चंपा दरस पनिक अध्यक्ष नगर पंचायत सकरी

DUBEY KIRLLETTER

Proper \$440

वार्ड क, 04 वार्ड क. ०५ 5-वार्ड क. C6 6-वार्ड क, 07 वार्ड क. ०८ वार्ड क. 09 वार्ड क. 10 10-वार्ड क. 11 11-12- वार्ब क. 12 वार्ड क. 13 13-14- वार्ड क. 14 वार्ड क. 15 एल्डमेन एल्डरमेन

एल्डरमेन

पुष्ट्यपम्पर पालिका आधिकाराः । नगमारमंबायता - सकसी

कार्यालय नगर पंचायत सकरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Φ.	उपस्थित सदस्यों का नाम	विषय	बैठक के कार्यवाही का सक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	हस्तक्षर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18	12— श्री सतोष स्पूर्यवशी (पाषंद) 14— श्री विनोद भागेंच (पाषंद) 15— श्रीमती पृणिमा लालजी यादव (पाषंद) 15— श्री प्रमात साद् (एल्बरमेन)	मगर प्रमायत राज्यी सीमातगीत प्रस्तावित एगएस—111 (नया * पुनएस—130) फोरलेन हेन् प्रस्तावित राजस्य सन्मृमि व्यप्ततेन के संबंध में विचार	प्रवारणं प्रस्तुतः। प्रकरणं पर वर्चा की गई। मारतीय राष्ट्रीय राजमार्गं अंतर्गत लगर प्रवायतः सकरी लीमालगंत आ रहें राजस्य यम भूमि खनः 31/1एम2 33एमा, 49एमा, 316/1 कृतं खरारा 04 मूल राज्या 2 0116 ईक्टियर भूमि प्रस्तावित है। उन्नतं भूमि की राष्ट्रीय राजमार्गं विभागं की व्यवप्रदांन किए जाने पर नमर प्रवायत सकरी को आपत्ति नहीं है।	सम्मति सम्मति से पारितः।	A. 67

मुख्य नगर पालिका अधिकार री मुख्य नगर पालिका अधिकार री

अध्यक्ष नगर पंचायत सकरी

ग्राम सभा पांड़ की बैठक दिनांक 🖽 / 2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम:

पांड

स्थान

TO DIE DIELLE THE THE

दिनांक 11./21./2018

- ग्राम पांड में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु है. वन भूमि एवं 0.6304 है. राजस्व वन भूमि, कुल 0.6304 है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- उ. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौडींकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा

लारत ।क	या गया है:-	ि स्टाइस सहयाचा सावा सार्थक	रकबा (हे.में)
豖.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	TO THE POST OF THE POST OF THE
	- 62	TO com	

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि है. वन भूमि / 0.6304 हे. राजस्य वन भूमि, कुल योग 0.6304 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जाये।

त्रातिकार्यः । जनसम्बद्धाः पान जनसम्बद्धाः पान जनसम्बद्धाः सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

कार्यालय ग्राम पंचायत पांड,जनपद पंचायत तखतपुर,जिला-बिलासपुर (छ०ग०)

(Do.
7
10
8
-
3
0
=
4
Ø.
T-T
19
- 12
भवन
See
ĕ
390
200
- 53
HIE
3
स्थान
1
E
10
1
1.0
47
TIP
U
4
-
8
40
O
12
0
ro
de
133
=
Ŧ
HHI
मसमा
मिसमा
ग्रामसमा
(ग्रामसमा)

प्रदर्श-"ब"

ग्राम सभा <u>भौरवपदी</u> की बैठक दिनांक 14/94/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्रामः स्थानः क्षेरवर्डी पंचायत भवन

दिनांक 19/04/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम की रेडक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 80 प्रतिष्ठात उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

- 1. ग्राम <u>(भीरवप्रदर्श)</u> में आवेदक **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग** प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु <u>(नि.रीफ</u> है वन भूमि एवं 0:0.983 है राजस्व वन भूमि, कुल 0:0.983 है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अधवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पञा वितरित किया गया है:--

		40.505	
क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा घारक	रक्या (हेम)

> याम पंतासत लोगाण्डी) जनपद पंचायन तथातपुर

ग्रान मंच्यत लोखपढी जनप्रसराम्ययत तस्त्रीपुर

सील

संलग्न:-ग्राम समा का विवरण।

वे हीलाल

D 700 Dec Federal In

कार्यालय ग्राम पंचायत कार्याक्ष्री जनपद पंचायत लाखार्य जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

क्रक

O C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	124	HE.	
अपिकारकाक्ष्मिक निर्देश के कार्या कर्मा करा कर्मा कर कर्मा कर्मा कर्मा कर कर्मा कर्	2	उपस्थित सदस्यों का नाम	
अस्ताव इव का का का सम्मादन सम्मात सम्मादन सम्मादन सम्मादन सम्मादन सम्मादन सम्मादन सम्मादन सम्मादन	3	विषय	
कारकार में जान हमा के देन का कामान कारकार के जान में न्यायत कारकार के जान में न्यायत कारकार के जान में न्यायत कारकार के जान में जान जान		बैठक के कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	
AN SHINE STATES	(J)	प्रस्ताव जो पास हुआ	बैठक
उत्तर्भाव स्टब्से अस्तर हे नहीं द	6	उप सदस्यों के हस्ताक्षर	बैठक दिनांक 19191 928

ARBERT LOUGH SELEN

कार्यालय ,नगर पालिका परिषद स्तुनपुर, जिला-बिलासपुर (छ०ग०)

क / | | रा.शा. / न.पा.प. 2018

रतनपुर दिनांक 5 . 5 . 1%

प्रति,

समक्ष प्राधिकारी भू—अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राठ) बिलासपुर (छ०गठ)

विषय :- बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १११ (नया १३०) हेतु पेण्ड्रीडीह-पथरापाली तक जिला-बिलासपुर में प्रमावित राजस्व भूमि के

संबंध में।

संदर्भ :- आपका ज्ञापन पत्र कमांक / 281 / अ.वि.अ. / भू.अ. / 2018 बिलासपुर दिनांक 12.04.2018 ।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में परियोजना निदेशक, भा.रा.रा. प्रा. बिलासपुर द्वारा तहसील-कोटा अंतर्गत ग्राम रतनपुर के अंतर्गत बिलासपुर-कटधोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) हेतु पेण्ड्रीडीह-पथरापाली तक जिला-बिलासपुर में प्रभावित राजस्व वनभूमि नगर पालिका रतनपुर के क्षेत्र में है।

अतः नियमानुसार उक्त बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) का निर्माण कराये जाने पर नगर पालिका रतनपुर को आपत्ति नहीं है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् रतनपुर रतनपुर दिनांक 5,5 4

र्.क. / <mark>1\ 8</mark> / रा.शा. / न.पा.प. / 2018 रतिलिपि :—

1. कलेक्टर महोदय, बिलासपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।

2. परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.प्रा. बिलासपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

मुख्य नेगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् रतनपुर

ਧੁਫर्श-"ब"

ग्राम समा <u>भेलनाडीर</u> की बैठक दिनांक 17/64/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्रामः

मेलगाउँह पैनायत अवन

दिनांक 17/04/2018

आज दिनांक 17/6.9/2018 को ग्राम मेलनाई के सरपंच श्री/श्रीमती के अध्यक्ष्ता में ग्राम सभा की बैठक आहुत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 60 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:--

- 1. ग्राम <u>मेलताडीह</u> में आवेदक **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.)** ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेंतु <u>लिरेंक</u> हे वन भूमि एवं 1:5128, हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1:5128, हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:--

		प्रा नाम	
		का नाम	N. W.
弱.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पन्ना धारक	रकबा (हे.में)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि जिर्डिक है वन भूमि / 15128 है राजस्व वन भूमि, कुल योग 1:5128 है, वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण। भिन्ती क्रिकी को डाटा

> मीजा जंदश्मात्र-भवार्ग

अस्त जील

हस्ताक्षर
नाम
सरपंच
सील कार्याको करन
至5年(1941)年
e द मत्मनाडीह (खुटारण्ट)
ज्ञाहा जिला-चिलानपर (क T



कार्यालय ग्राम पंचायत मेलनाडीह, जनपद पंचायत कोटा, जिला - बिलासपुर (छ.ग.) प्रस्ताव नकल

दिनांक .17:04-20

100 Gaio 17-04-2018

	12.	7	10.	9	8.	7.	0	On .	4	ω	io			BI .
	श्रीमती त्रिवेणी खुसरो (पंच)	श्री मनीराम जगत (पंच)	श्रीमति ठखमणी यादव (पंच)	श्रीमति गायश्री प्रधान (पंच)	श्रीमति छोटकी बाई (पंच)	श्रीमति मीना कोल (पंच)	श्री टाजकुमार गोड़ (पंच)	श्रीमति संतोषी बाई गोड़ (पंच)	श्रीमति हीराबाई मरावी (पंच)	श्रीमित तक्षन बाई मरावी (पंच)	श्रीमती बबीता गोड़ (उपसरपंच)	कु. शारदा गढ़ेवाल (सरपंच)	22.	उपस्थित सदस्यों का नाम
				9	विया ज्ञाया है के खेंबीय	अधिकार पट्टानही	ना भूगि के अर्जन	में परना नित्र राजस्व	Bosto - 53.700	पेन्ड्रीडीह - प्रथरापाली	गा। (नमा - 130) हैत	я.ж 18	æ	विषय
	कार्या में कार्या के कार्य	ADK 41 415 SICH IS SIGN	जारी कही किया जाया है। जार ना हो किसी	अधिकार अधिकिया के तहत व्यक्तिगत एवं		63 रक्का - 0.0176 कुल रक्का - रू.5128 हे	150.0-1692-1/091-0-1695 OF 1668.0-1495-		क निक् मिक-०,000 में निक् भी 534400 तक अस्ताचि	राज्याचे द्वारा यह निर्णय विधा ज्ञात विश्वासीय	में रखा जमा जिसकी अस्मान्ता सर्पंच कु०	की जाग सभा का सायोजन जान दिनांक-17-०५-१8	4.	बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही
-	मेलनाविक स्थान कोटा	0)	DAIN HINA	स्व सहभाव की)	o.	प्रस्ताव जो पास हुये
				_					9 900110		कामिवार	उपरियात प	6.	हस्ताक्षर

प्रदर्श—"ब"

ग्राम समा करी की बैठक दिनांक !£. / ६५/ 2018 का कार्यवाही विवरण

ग्रामः स्थानः **फर्रा**

दिनांक / ८... / १.4. / 2018

- ा याम <u>करी</u> में आवेदक **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (इ.ग.)** ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए बन भूमि के व्यपवर्तन हेतु <u>NiL</u> हे बन भूमि एव <u>स्ट.793.9</u> हे राजस्व बन भूमि, कुल <u>प्र.793.9</u> हे, बन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि कं उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौडीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत बनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत बनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अधवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र। वितरित किया गया है:--

事.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
	2.7		MIL

संलग्नः-ग्राम समा का विवरण।

30

(Can-ham) San Sal

कार्यालय ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत ___कोटा ___, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

..... रेला. अंतर्क

EBBBBBBBBBB	<u></u>	, S I
() भी अनुदान निषा भाषा प्रत्यात (ह) () भी अनुदान निषा के जाती है जिला मानु के कुल्धेत () निर्मा कार्यात अपात नामित जिलामपुर के कुल्धेत () निर्मा कार्यात अपात नामित जाती है () नी दिन अपात अपात अपात कार्यात का स्था में () नी दिन अपात अपात अपात कार्यात का स्था में () नी दिन अपात अपात अपात कार्यात का स्था में () नी दिन अपात अपात अपात कार्यात का स्था में () नी दिन अपात अपात अपात कार्यात का स्था में () नी दिन अपात अपात अपात कार्यात का स्था में () नी दिन अपात अपात अपात कार्यात का स्था में () नी दिन अपात अपात अपात कार्यात का स्था में () नी दिन अपात कार्यात का	2	उपस्थित सदस्यों का नाम
प्रत्मात (१५) विकासपुर से करणेग राष्ट्रीय राजमति धुर राज्यस्य कर स्थात है पहा कासत ।	3	विषय
(1) भी अनुत्न निषाइ सापं प्रतान (इ) प्रसान (इ) असमा के उमारेशानुसान साजाति सार कि जाति । विद्या के क्रांसम् के उमारेशानुसान साज कि जाति । विद्या के क्रांसम् के उमारेशान साम के उमारेशान साम के उमारेशान साम के जाति । विद्या के जाति के जाति के जाति । विद्या के जाति के जाति । विद्या के जाति के जाति । विद्या के जाति के जाति के जाति के जाति । विद्या के जाति के	4	बैठक के कार्यवाही का संक्षिपा विवरण
	6	प्रस्ताव जो पास हुआ
\$ 30 miles	0	उप सदस्यों के हस्ताक्षर

प्राप्त पंचायत कर्रा ज.पं.कोटा (छ.ग.)

प्रदर्श-"ब"

ग्राम सभा <u>अलि</u> की बैठक दिनांक !.7/९५/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्रामः **ां** स्थानः

दिनांक 17./.04/2018

आज दिनांक 17 / 94/2018 को ग्राम अन्ति के सरपंच श्री / श्रीमती उँ धी छैश्यप की अध्यक्ष्ता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 5% सदस्य 80 % प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई--

- 2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के पिरप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चां की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सडक चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी अविवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:--

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकवा (हे में)
1	जाही।	N)L	will

अतः यह एकमत से ग्राम समा में निर्णय लिया गया कि ... और क्षेत्र है .वन भूमि / है .वन भूमि , कुल योग ... 1.. 1. 1. 1. 1. को गँर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर नाम भागित उद्या बन्धाप सरपंच अस्तानी स्रील

संलग्न:-ग्राम समा का विवरण।

प्राचित्र ग्राम पंचायत जाली जनपद पंचायत कोटा राष्ट्र स्ट्राप्टर — सरपंच ग्राम पंचायत जाली जनपद पंचायत कोटा शिन्दात्यन्दि सि गाजिता

स्कार

कार्यालय ग्राम पंचायत जनपद पंचायतडिटि......... जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

..... वैतक

	339066666		34
	() नोमी ज्या कराप सामि प्रताद (25) को होरीया प्रमाय पंच विकास (25) को होरीया प्रमाय पंच विकास (25) को मोनी सहोर्डामा पंच व्यक्त में बान पह (25) को मोनी सहोर्डामा पंच व्यक्त में बान पह (26) को मोनी सहोर्डामा पंच व्यक्त में बान पह (26) को मोनी सहोर्डामा पंच व्यक्त में बान पह (26) को मोनी सहोर्डामा पंच व्यक्त में बान पह (25) को मोनी सहोर्डामा प्राचित (25) को मोनी का का कराय स्थाप विकास (25) को मोनी का का का कराय स्थाप विकास (25) को मोनी का का कराय स्थाप विकास (25) को मानी का का कराय स्थाप विकास (25) को मोनी का का कराय स्थाप विकास (25) को मोनी का का कराय स्थाप विकास (25) को मोनी का का कराय स्थाप (25) को मोनी का का कराय स्थाप (25) को मोनी का का कराय स्थाप (25) को मोनी का का का कराय स्थाप (25) को मोनी का का कराय स्थाप (25) को मोनी का का का कराय स्थाप (25) को मानी का	2	उपस्थित सदस्यों का नाम
ACCUSATION OF THE PARTY OF THE	प्रात्माव (25) के अंड निर्माण के अंतिक के अंति के जान पहीं में जान पहीं में अंति पहीं अंति के	ಟ	विषय
SWE.	अताम (25) को जाए पत्म के निर्देशाउमा स्मान जिली है। जाए पत्म जा जा जा पत्म के निर्देशाउमा स्मान जिली के का जा जा जा जा जा जा जा जिली के स्वा निर्देश के जा	4	बैठक के कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
A HILE	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	प्रस्ताव जो पास हुआ
राष्ट्रपंच सरपंच	***	0	जो उप सदस्यों के इआ हरताक्षर

ग्राम सभा बेलतरा की बैठक दिनांक 311/011/2018 का कार्यवाही विवरण

बेलतरा

राम प्रापत भवन स्थान:

दिनांक 30/04/2018

आज दिनांक 3.0./0.14/2018 को प्राम नीती के सरपंच श्री/श्रमिती मेहेंप्रवर मेरेशमिकी अध्यक्ष्ता में ग्राम समा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम समा एवं वन समिति के सदस्य ८.६... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

- ग्राम बेलतरा में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निर्दे के ... है. वन भूमि एवं 0.4005 है. राजस्व वन भूमि, कुल 0.4005 है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौडीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गेर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा

那.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	(

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निर्रह है. वन भूमि / 0.4005 हे. राजस्व वन भूमि. कुल योग 0.4005 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

ग्राम पंचायत बेलतरी

ज.पं.ि डा.जि.-बिलासपुर (छ.५.)

13.17. (3.18.) Hellings (37.): *

संलग्न:-ग्राम समा का विवरण।

बैतिवि विमायिवाहि। विभि जानिविमासी २०१४

प्रस्ताव जो पास हुए पंची के हस्ताकर या	अगुठ का निशान
प्रस्ताव जो पास हुए	सर् न्याति के अस्तात् गापि ।
प्रस्थित सस्पंच पंचो के नाम	अक्टर्स प्रमान के काम स्थान के काम के काम के किया काम के के किया काम के के किया काम के किया काम के किया काम के किया काम के के किया काम के के के किया काम के के के किया का के काम के
विषय	मिलापश्र खर्यात्र राम महिता में उभावित रामस्व वन श्राम के अन्व धर्म में
उपस्थित सस्पंच पंची के नाम	सारमंत्र जपसारमंत्र भी पहिल्ला सिंह मत्यान प्राथमाण् :

ग्राम सभा लिम्हा की बैठक दिनांक /८/ ०५/ 2018 का कार्यवाही विवरण

ग्रामः

स्थानः

21109 200

दिनांक 18/04/2018

आज दिनांक 18/04/2018 को ग्राम लिम्हा के सरपंच श्री/श्रीनती अध्यावती की अध्यक्ता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 📆 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

- ग्राम लिम्हा में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु हे. वन भूमि एवं 1.51 हे. राजस्य वन भूमि, कुल 1.51 है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम समा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर बर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौडीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर प्रप्रागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन मूमि पर नहीं दिया गया है।

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा विक्रित किया गया है:-

97.5	म का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
------	----------	--	---------------

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि है. वन भूमि 1.51 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1.51 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

-विल्हा जि विलासपुर(१) -

संस्थान्याचायत लिम्हा शि स्व बिला है बिलासप्र(छ ग.)

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

प्रथावित त्थावितामी छा द्वा भं संत्यान है।-

1. राज खुनर जिल्ली प्राप्त 30×50 293/2 2. रिम नाथ राम 30×50 3. निम्म छिट मिर्म प्राप्त 30×50 4. धम छिट में स्पर हिंह 30×50 5. प्रसा छिट में स्पर हिंह 30×50 6. थम छा समार अमंद हिंह 30×50 7. गोगेश राम चंदम हिंह 30×50 8. लगम छिट अमंद छिट उ०×50 9. हम छा हिंह अमंद छिट उ०×50 10. हम छुमार समार छुमार उ०×50 11. दुसराज छिट अमाराम उ०×50 12. राम छिट अमाराम उ०×50 13. छिएट छिट अमाराम उ०×50 14. ला मिर्म अमाराम उ०×50 15. हम छा छा समाराम उ०×50 16. छा मिर्म अमाराम उ०×50 17. गोगेश राम हम छा छा उ०×50 18. हम छा छा समाराम उ०×50 19. हम छा छा छो छा	मिला/विति राजाद्व रव् मे. प्रिम का नाम आंक्राइत	15
2. खेमनाथा राम 30×50 3. न्विलर् छिंह प्रीच्छात् 30×50 4. धम जिंह संविराम 30×50 5. द्वरमे छिंह महेलर् जिंह 30×50 6. अवता हमार अनंद राम 30×50 7. भवता हमार अनंद राम उ०×50 8. लाम जिंह धममें हिंह 30×50 9. जिमले दुमार स्वाधि ममाराम 30×50 9. जिमले दुमार क्लोंक ममाराम 30×50 9. जिमले प्रमा हिंह अमाराम 30×50 9. जिमली प्रमा हिंह अमाराम 30×50 6. धामकी प्रमा हिंह अमाराम 30×50 6. धामकी प्रमा हिंह अमाराम 30×50 9. जिमली प्रमा हिंह अमाराम 30×50 9. जिमली प्रमा हिंह अमाराम 30×50 9. जिमला समाराम 30×50 9. जिमलिस प्रमा हिंह अमाराम 30×50 9. जिमला समाराम 30×50 9. जिमला प्रमा हिंह अमाराम 30×50 9. जिमला प्रमा हिंह अमाराम उ०×50 9. जिमला प्रमा हिंह अमाराम हिंह अ०×50 9. जिमला प्रमा हिंह अमाराम हिंह अ०×50	- 0	
4. धनि छिंह सिंह सिंह ३०४५०	1	
प्रसार कुलि मानाम ३०४५० श्वा हुमार अनंदराम ३०४३० श्वा हुमार अनंदराम ३०४३० श्वा हुमार अनंदराम ३०४३० श्वा हुमार जिल्हा ३०४३० श्वा हुमार हिल्हा ३०४५० श्वा हुमार हुमाराम ३०४५० श्वा हुमाराम ३०४५० श्व हुमाराम ३०४५०	1214916 30×30 -	
तः सुर्ग वित महिल्द वित् ३०४५० शवन हुमार अनंद राम ३०४५० शवन हुमार वित वित ३०४५० लागन वित अगमंद वित ३०४५० लागन वित अगमान कुलान मयानाम ३०४५० लागन वाल भामनाल ३०४५० लागमंद वित अगमनाल ३०४५०		
श्वा हुमार अनंद राम 30×30 — श्वा हुमार जिल्हा अनंद किंहा 30×30 — क्यां लाई स्व शाम विंहा 30×50 — श्वा हुमार हिला अमाराम 30×50 — श्वा हुमार क्वा म्याराम 30×50 — श्वा हिलाम क्वा म्याराम 30×50 — श्वा हिलाम हिलाम क्वा हिलाम अमाराम 30×50 — श्वा हिलाम हिलाम विंहा 30×50 — श्वा हिलाम हिलाम विंहा 30×50 — श्वा हिलाम हिलाम विंहा 30×50 — श्वा हिलामा हिलामा विंहा 30×50 — श्वा हिलामा विंहा श्वा विंहा 30×50 — श्वा हिलामा विंहा श्वा विंहा 30×50 —		
ते शिक्या कि विशेष विशेष ३०४३०		
त्रिक्त विशेषात्र विशेष्ट अ०४३० विशेषात्र प्रमाद दिन थाने सिंह उ०४४० विशेषात्र प्रमाद देनराजा उ०४४० विशेषात्र प्रमाद प्रमादाम उ०४४० विशेषात्र प्रमाद प्रमादाम उ०४४० विशेषात्र प्रमाद अग्राताम उ०४४० विशेषात्र विशेषात्र अग्राताम उ०४४० विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र उ०४४० विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र उ०४४० विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र उ०४४० विशेषात्र विशेषा		
क्वरा वर्गाङ स्व थान विह 30×50 विमल दुमार दिवराज 30×50 दुसराज विह कवा मिर केव विह 30×50 देसमार दूसि मिर अगराम 30×50 देसमार दूसि अगराम 30×50 देसमार दूसि अगराम 30×50 देसमार वाल भागाल उ०×50 देसमार वाल काल भामालाल उ०×50 देसमार वाल काल भामालाल उ०×50 देसमार वाल काल भामालाल उ०×50 देसमार वाल काल में मार्ग केव उ०×50 देसमार वाल काल अगराम वाल उ०×50 देसमार वाल अगराम विह उ०×50 देसमार वाल अगराम वाल उ०×50 देसमार वाल अगराम विह उ०×50 देसमार वाल अगराम वाल उ०×50 देसमार वाल अगराम विह उ०×50 देसमार वाल अगराम वाल अ०×50		
० विमल दुमार देवराजा ३०xs० १. दुकराजा लिंह क्छा िसंस ३०xs० २. सम्माक दूलिंग भयाराम् ३०xs० ३. दिप्ट विस अग्रमाराम् ३०xs० ५. व्यक्त लाल स्थामलाल ३०xs० ६. विस्ताम द्वराजा ३०xs० ६. धामकी प्रवाद देवराजा ३०xs० ३. विश्वराम वित्र ३०xs० ३. विश्वराम वित्र ३०xs० ३. विश्वराम वित्र ३०xs० ३. विश्वराम वित्र ३०xs० १. विश्वराम वित्र ३०xs० १. विश्वराम वित्र १४मामला ल ३०xs०		
ति दुनराम शिर काण शिर ३००० ।	2000	
त्र सम्मान दूला मधाराम ३००० उत्पाद लिस अमारामा ३००० अस्ताम लाल २भाम लाल ३००० अस्ताम हारम जिस ३००० अस्ताम हो असाउ देशराउ ३००० अभार जिस २भाम लोल ३००० अभार जिस २भाम लोल ३०००		
प्रस्तिम् लाल २भामलाल ३०xऽ० हे स्राम्हिताम् इत्राम्हित्स ३०x३० हे स्राम्हित्स ३०x३० हे स्राम्हित्स ३०x३० हे स्राम्हित्स ३०x३० हे स्राम्हित्स ३०xऽ०		
किर्याम् होरम्पिस ३०४३० विश्वास स्थामका स्थाप ३०४४०	1211217 30×30	
6. ७११मडी प्रमाड देनराजा ३०x३०		
त. २००१ श्रामा की प्रमान की खंड ३०xऽ०		
े क्षेत्रीशिक्या किनंत्री 30×30		
की शिल्या किनंगी 30×50		
	414 mile 30×30	
73	30×50 1.	
30/37 - 30/37	\ () 'y	प्रमार्
. हिर्मराम - जिल्ला 30 XS स्ति का विकास कि वि विकास कि व	20V63	10000 m

ही की जालकारी 2018

ग्राम पंचायत लिम्हा स्थान ग्राम पंचायत लिम्हा वि.खं. विल्हा, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

(2) उपस्थित सरपंच पाने हें। पाने के नाम भी भागवत प्रसाद सार्थ मुन्ह - 2 भी भागवत प्रसाद सार्थ मुन्ह - 2 भी भागवत प्रसाद सार्थ मुन्ह - 3 भी भागवत प्रसाद सार्थ मुन्ह - 3 भी भागवत प्रसाद सार्थ मुन्ह - 3 भी भी सार्विहायन सोरवे उपस्रपंच पाने के नाम भी भागवत प्रसाद सार्थ मुन्ह - 3 भी सार्विहायन सोरवे उपस्रपंच पाने के नाम भी भागवत प्रसाद सार्थ मुन्ह - 3 भी सार्विहायन सोरवे उपस्रपंच मुन्ह - 3 भी सार्विहायन सोरवे अभी मुन्ह - 3 भी सार्विहायन सोरवे अभी मुन्ह - 3 भी सार्विहायन सोरवे अभी मुन्ह - 3 भी सार्विहाय सार्विहाय सोरवे अभी मुन्ह - 3 भी सार्विहाय सार्विहाय सार्विहाय सोरवे अभी मुन्ह - 3 भी सार्विहाय सारवे अभी मुन्ह - 3 भी सार्विहाय सारवे अभी मुन्ह - 3 भी सार्विहाय सारवे अभी मुन्ह - 3 भी सार्विह सारवे अभी मुन्ह - 3 भी सारविह सारवे अभी मुन्ह - 3 भी सारविह सारवे अभी मुन्ह - 3 भी सारविह सारवे अभी सारविह सारविह सारवे अभी सारविह सारवे अभी सारविह सारविह सारवे अभी सारविह सा		91
कार्या (3) विषय (4) बेठक कार्यावाह का विवरण कार्या (4) बेठक कार्यावाह का विवरण कार्या (4) कार्या (4) बेठक कार्यावाह का विवरण कार्या (4) कार्या (4) कार्य (4) कार्य (4) कार्य (4) कार्य (4) कार्य (4) कार्या (4) कार्या (भी भागवत प्रसाद साथीं सरपंच भी रामविद्यलायन सोरठे उपसरपंच भी रामविद्यलायन सोरठे अभिन्दी भागवती सोरठे अभिन्दी भागवती रंकाम अभिन्दी संदोषी ओरकेश अभिन्दी संदोषी ओरकेश अभिन्दी द्राज्यस्य सोरठे अभिन्दी द्राज्यस्य सोरठे अभिन्दी द्राज्यस्य सोरठे ।० श्रीमती परेखा कुसरो ।१ श्री वहारन यस मानिकपुरी ।१ श्री वहार सिंह सोरठे ।१ श्रीमती अमरीका सोरठे ।६ श्री मती अमरीका सोरठे ।६ श्री मती सरवदी टेकाम ।৪ श्री पदा सिंह उड़के ।२ श्रीमती संदिक्ष परधान ।৪ श्री पदा सिंह उड़के	(2) उपस्थित सरपंच पंचों के नाम
हमान क्रिक्ट कार्यावाही का विकरण हमान क्रिक्ट मान्य निर्माह क्रिक्ट निर्माण क्रिक्ट मान्या हमान क्रिक्ट मान्या क्रिक्ट मान्या क्रिक्ट मान्या क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्	2.50 CB 2000 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	(3) विषय
	क्षा हैं कि कि नाम निर्माण के कि कि के कि के कि कि के कि कि के कि	(4) बेठक कार्यावाही का विवस्ण
	Att of points of the state of t	(5) प्रस्ताव जो पास हुए (6) पन्नो के हस्तावर या अगुडे का निशान

प्रदर्श-"ब"

ग्राम सभाकोरको की बैठक दिनांक 🖂 🛝 2018

ग्रामः <u>कोरबी</u> स्थानः एत्याप्त्रं भवन

दिनांक \7/0\/2018

आज दिनांक 1.7/1.4/2018 को ग्राम की उर्वे के सरपंच श्री/श्रीमती रिप्टिट्रारी अरकाम की अध्यक्ष्ता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य निर्ण प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

- 1. ग्राम <u>किरियों</u> में आवेदक **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.)** ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु <u>किरिये</u> है वन भूमि एवं <u>०.०३</u> है राजस्व वन भूमि कुल <u>०.०३</u> है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम समा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सडक चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रश्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गेर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:--

新 。	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक	रकबा (हे.में)
		का नाम	ORACS-COORSECATO

SEVENR.

संलग्न:-ग्राम समा का विवरण।

राचिव -

सरपंच हर्मा प्रियायत कारपी च त निर्ह्मा,जि.बिलावमुर (छ प) सरपंच

सील

ग्राम प्रचायत कोरपी एक क्षा विकास कि विकास गर्भ का

विकारण कि किन्नि

शवनारायण यादव रामेश्वरी उईके त्रिवेणी बाई कंवर अनंदराम मरावी कौशिल्या बाई कोरम अहिल्या बाई सोरठे राजेश्वरी मस्काम जग बाई मरकाम शारदा बाई कोरम श्रवण सिंह जगत रिविदुलीरी मरकाम 8 सरपच वेत प्रभावित राजस्य स्माण पत्र हेतु । भार दोन २८क निर्माण TH (-SET-120) याद्वीय राजभागिर्व विशासाप्य-क्ट्रकारा 917-49-18CE BIPSE विषय ग्राम पंचायत कोरबी जनपद पं. विकास खण्ड बिल्हा तह.व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) (नया-130) में पेन्ह्रीडीह से परायापाली तक अदि। नियम के व्यक्तियत क्षेत्र सामुराभिक सप मे पण्डलकी-1 से अधिमहित राजस्य का मुझ चार लीन सहक के निर्माण हेत् याम -कीयमे किसी प्रकार का प्रदानहीं दिया ज्या है और आकार से कीर्ट आपाने के आपान्या में किसी वैद्य का आयोजना किया जाया, जिसमें उपस्थित विविद्वारी अस्टाम के अस्टामनी में अम सभा अभि दिनीक- 17-04-2018 की सर्वांच क्षी 何如前一年-2/1人的一0.03年 多日本明一 बिलासपर-करहोदा राष्ट्रीय राज्याजी सर्व्या-111 ় 03 কা হাজ্যৰ বন খুনি সম্বেত্য দিন কী সামী सभी अवस्था हाला गह निक्षां क्षेत्रा अया रक बैठक की कार्यवाही क्षे ख बिन्हा, कि बिलायुर (छ ग) जान पदायत कारक भ्रस्ताव अप्र माम्स प्रस्ताव जो पास हुआ HES PULL ग्राम पचायत कोरबी ब्रजलाल मरकाम पची का हस्ताक्षर The state of the s उपसरपच

विसंबित्ता कि विनासप्ति कर्म



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India) कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.-।, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)

दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in

13013/3/2021/PD-BSP/BSP-PATHRAPALI/FOREST/ 9613

Date: 01/08/2022

To,

The Division Forest Officer, Bilaspur Forest Division District-Bilaspur, (C.G.)

Sub:- 4-Laning of Bilaspur-Pathrapali from Km. 0+000 to Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala on Hybrid Annuity mode:

<u>Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.</u>

Ref:- 1. Regional Ofice Nagpur letter no F.No. FC-II/CJ-89/2018-NGP/4979 dated 14.02.2019.

2. PD Bilaspur letter no 3881 dated 04.06.2019.

3. DFO Bilaspur letter no 5377 dated 29.10.2021.

4. PD Bilaspur letter no 9201 dated 14.05.2022.

5. DFO Bilaspur letter no 3726 dated 06.07.2022.

6. PD Bilaspur letter no 9510 dated 24.07.2022.

7. PD Bilaspur letter no 9581 dated 27.07.2022.

Sir,

Please refer this office letters cited above seeking Stage-II clearances for the mentioned project. This office vide letter no 3881 dated 04.06.2019 had submitted compliances with undertakings. The undertakings are resubmitted in the desired format.

- 2. Further as per your subsequent demand, an amount of Rs 8,36,700/- for eco friendly retroreflecto rized signboards and Rs 33,63,215 for avifauna scheme were already deposited to Forest Department and intimated to this office letter no 9581 dated 27.07.2022 & letter n 9201 dated 14.05.2022 (Copy enclosed).
- 3. In view of above and since this office has already complied w.r.t. Stage-II requirements, it is requested that Stage-II Clearances be issued soon. Further, it is to submit that the matter is being regularly reviewed at various level of NHAI, MoRT&H and MoEF&CC.

Encl:- As above.

Yours Faithfully
Project Director

PIU Bilaspur

Copy to:-

1. APCCF (Land Management), Aranya Bhavan, State Forest Department, Raipur.

2. Chief Conservator of Forest, Bilaspur circle.

3. The Regional Officer, CG National Highways Authority of India, F-1, Anupam Nagar, TV Tower Road, Raipur-492006.

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200 H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Tele. : 011-25074100/200

Condition No.:-

(i) Legal status of the forest land shall remain unchanged.

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No.:- (ii) Compensatory afforestation over the degraded forest land twice in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency.

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No.:- (iii) The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Condition No.:- (iv) The State Government shall charge the Net Present value (NPV) for the Forest land being diverted under the proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008, and 09.05.2008 in W.P. (Civil) No 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters no 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.

UNDERTAKING

-----00-----

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No.:- (v) At the time of payment of the Net Present Value (NPC) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.

UNDERTAKING

-----00------

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No.:- (vi) All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred CAMPA through e-challan in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned;

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No.:- (vii) State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guidelines dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (viii) The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (ix) The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (x) The User Agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years.

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xi) Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xii) The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xiii) Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xiv) The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainages as per requirement to make the slope stable;

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xv) The User Agency shall prepare and implement a comprehensive Soil Conservation Plan in the forest area being in consultation with the State Forest Department at the project cost. A plan on the same shall be submitted along with the compliance report of the Stage-I approval;

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xvi) The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water logging, and also does not hamper movement of wild animals.

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xvii) No labour camp shall be established on the forest land.

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xviii) The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
------00-------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xix) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for

Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xx) The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

UNDERTAKING

-----00------

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xxi) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.

UNDERTAKING

-----00------

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xxii) No damage to the flora and founa of the adjoin area shall be caused;

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xxiii) The existing carriageway in the forest area, in the patches corresponding to re-alignments, shall be dismantled and land shall be handed over back to the State Forest Department. A reclamation plan by planting suitable species of trees be prepared in consultation with the Forest Department and the amount so required will be deposited with the forest department by the user agency for taking up reclamation of the area. Exact extant of area to be recovered may be reported. A copy of plan so prepared shall be submitted to Regional Office, Nagpur.

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xxiv)Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xxv) The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.

UNDERTAKING

-----00-----

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:- (xxvi) Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 shall be submitted in accordance with the provisions of the MoEF&CC's Guidelines dated 05.07.2013 and documentary evidences in support of settlement of rights as stipulated in clause (a) of the Form-I annexed to the MoEF&CC's advisory dated 05.07.2013 viz copies of records of meetings and consultations with the Forest Eights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub Divisional Level Committee shall be submitted before Stage-II approval.

UNDERTAKING

-----00------

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:-(xxvii) The User Agency shall submit six monthly self compliance report as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State;

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:-(xxviii) The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clarence and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year;

-----00------

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:-(xxix) Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

UNDERTAKING

-----00------

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:-(xxx) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project; and

UNDERTAKING

-----00------

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022

Condition No:-(xxxi) Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC;s Guidelines dated 28.08.2015.

UNDERTAKING

-----00------

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date:

01.08.2022



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India) कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.-।, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)

दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in

13013/3/2021/PD-BSP/BSP-PATHRAPALI/FOREST/ 9581

Date: 27/07/2022

To.

The Division Forest Officer. Bilaspur Forest Division District-Bilaspur, (C.G.)

Sub:- 4-Laning of Bilaspur-Pathrapali from Km. 0+000 to Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala on Hybrid Annuity mode: Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh Demand Note for Avifauna Scheme-Reg.

Ref:- 1. Divisional Forest Officer, Bilaspur letter no 5417 dated 02.11.2021.

This office letter no 8755 dated 03.02.2022.

This office letter no 9144 dated 05.05.2022.

4. This office letter no 9302 dated 07.06.2022.

5. Divisional Forest Officer, Bilaspur letter no 3726 dated 06.07.2022.

This office letter no 9510 dated 14.07.2022.

Sir,

As per your subsequent communication vide letter no 3726 dated 06.07.2022 and as desired, therein, this office has already provided an undertaking to the effect vide this office letter no 9510 dated 14.07.2022.

- Further, a payment of Rs 33,63,215/- bearing NEFT no. AXIC222073195242 dated 26.07.2022 released to the designated CAMPA fund account.
- You are accordingly requested for early needful action in providing Stage-II Clearances to this office please.

Thanking You

Encl:- As above.

Yours Sincerely

PIU Bilaspur

Copy to:-

- 1. APCCF (Land Management), Aranya Bhavan, State Forest Department, Raipur.
- 2. Chief Conservator of Forest, Bilaspur circle.

3. GM (Environment) NHAI HQ.

4. Sh. Kirti Singh, Joint Advisor (Plantation), NHAI-RO, Raipur, F-1, Anupam Nagar, TV Tower Road, Raipur-492006 (C.G.).

[स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहें हम,]

PIU-BSP/PIU Bilaspur/13013-5-Bilaspur-Pathrapali/Adani



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority Of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur ही-61, एव.आईजी-।, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टेण्ड के पीछे विकत, बिलासपुर (छ म.) D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.) 495001

दुरभाष: 07752-291604 Phone: 07752-291604 Email:piubilaspur@nhai.org Email: piubilaspur@gmail.com Web : www.nhai.gov.in



13013/3/2022/प.नि.—बिला./बिला.—पथरापाली/वन/9201

दिनांक 14.05.2022

प्रति

वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बिलासपुर,

जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।

4-Laning of Bilaspur-Pathrapali from Km. 0+000 to Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala on Hybrid Annuity mode: Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 5377 दिनांक 29.10.2021।

महोदय.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा बिलासपुर-पथरापली सडक रा.रा. संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण के अंतर्गत MoEF&CC द्वारा linear Infrastructure हेतु कुल 30 नग signages/signboards लगाने हेतु डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रू० 8,36,700/- (आठ लाख छत्तीस हजार

अतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारा रू० ८,३६,७०० / – (आठ लाख छत्तीस हजार सात सौ रू.) का डिमांड ड्राफ्ट वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर के नाम पर जारी कर आपकी ओर सादर प्रेषित की

सधन्यवाद।

संलग्न:- डिमांड ड्राफ्ट।

भवदीय

आरांग देवद्वरे

(गौरांग देवघरे)

मबंधक (तक.) प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध / व.सं.अ.), रायपुर, छत्तीसगढ को सादर सूचनार्थ।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

3. उपमंडलाधिकारी, बिलासपुर उपमंडल बिलासपुर को सादर सूचनार्थ

परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200 H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Telephone No. : 011-25074100 / 200

[स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहें हम,]

1	केन्द्रा वैक 🛆 Canara Bank जी.ई. रोड, रायपूर - 402 006 G. E. ROAD, RAPUR 192 006 (2555) G. E. ROAD, RAPUR 192 006 (2555) G. E. ROAD, RAPUR 192 006 (2555)	
, 1	DIVISIONAL FOREST OFFICER BILASPER मांगने पर On Demand Pay को या उनके आदेश पर Or Order प्राप्त मूल्य के लिए	2
	साराम LAKH THIRTY SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED ONLY ऋषये Rupees #	6
)	अंदा करें For Value Received	5
	Purchaser Name: NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA	3 2
)	S.P. NO. 73047 GETAIN MEDICASPUR(191) S.P. NO. 73047 S.P. N	



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport and Highways, Government of India) कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर

Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.-।, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

सत्यमव जयत D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.) दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in

13013 / 3 / 2022 / प.नि.—बिला. / बिला.—पथरापाली / वन / 95 10

दिनांक 14.07.2022

प्रति.

वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बिलासपुर, जिला—बिलासपुर (छ.ग.)।

Sub:- 4-Laning of Bilaspur-Pathrapali from Km. 0+000 to Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala on Hybrid Annuity mode: <u>Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh: Undertaking-reg.</u>

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3726 दिनांक 06.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा बिलासपुर—पथरापली सडक रा.रा. संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण के अंतर्गत MoEF&CC द्वारा Avifauna Scheme हेतु राशि 33,63,215/— रू. कैंपा फंड के माध्यम से ऑनलाईन जमा करने एवं वरिष्ट कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), नवा रायपुर के अनुमोदन के पश्चात् उक्त राशि में किसी भी प्रकार की भिन्ता (वृद्धि या कमी) होने की स्थिति में शेष राशि के लिए वचन पत्र जमा करने हेतु इस कार्यालय को लेख किया गया है।

 अतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई. बिलासपुर द्वारा वचन पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित की जा रही है।

सधन्यवाद् ।

भवदीय

संलग्न:- वचन पत्र।

परियोजना निदेशक प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:--

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध / व.सं.अ.), रायपुर, छत्तीसगढ को सादर सूचनार्थ।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

[स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहें हम,]

PIU-BSP/PIU Bilaspur/13013-5-Bilaspur-Pathrapali/Adani

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport and Highways, Government of India) कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.-।, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)

दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in



UNDERTAKING

I, Ajay Kumar Dhal, Project Director, PIU-Bilaspur, NHAI hereby undertake to comply with requirement of variation amount if any towards implementation of Avifauna Scheme for statutory compliance of Stage-I Clearance of Bilaspur Pathrapali Project.

Date 14.07.2022.

Project Director PIU Bilaspur

[स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहें हम,]

PIU-BSP/PIU Bilaspur/13013-5-Bilaspur-Pathrapali/Adani

मख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूर**भाष** : 011-25074100 / 200

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

|e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com|

कमांक/तक./.3.72.6

बिलासपुर, दिनांक 06/07/2022

प्रति

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड, बिलासपुर (छ0ग०)

विषय :--4-laning of Bilaspur to Pathrapali from Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of C.G. under Hybrid Annuity Mode- Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabitation and Upgrading to 4-lane with paved shoulder configuration of Bilaspur-Katghora section of NH-111 in the State of C.G.: Request for demand Note-Reg.

संदर्भ :-

- इस कार्यालय का पत्र क्र./तक./5417 दिनांक 02.11.2021
- 2. इस कार्यालय का पत्र क्र./तक./5898 दिनांक 02.12.2021
- 3. इस कार्यालय का पत्र क्र./तक./3229 दिनांक 13.06.2022
- 4. आपका पत्र क्र. / 8755 दिनांक 03.02.2022

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। एवीफौना योजना का प्राक्कलन राशि रू. 3363215 / – का प्रस्ताव संदर्भ क. 02 द्वारा ग्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, जिसके अनुमोदन

इसके तारतम्य में लेख है कि संदर्भ क. 01 द्वारा आपको जारी किये गये मांग पत्र राशि रू. 3363215 / – को कैम्पा मद में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ कार्यालय से अनुमोदन की प्रक्रिया के दौरान उक्त राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या कमी होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि आपके द्वारा जमा करने बाबत् वचन पत्र इस कार्यालय में जमा करें।

संलग्न :- शन्य।

नमंडलाधिकारी लासपुर वेनमंडल बिलासपुर (छ.ग.) बिलासपुर दिनांक 06/07/2022

प.कमांक/तक./.3727 प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध / व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सादर

2. मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की और सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

D:/MS Word/Office L-18

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082 [e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्मांक /तक. /5377

बिलासपुर दिनांक 2911012021

प्रति.

परियोजना निर्देशक. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर डी-61 एच.आई.जी.-1 (आकाश) अभिलाषा परिसर नया बस स्टैण्ड के पीछे तिफरा बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :-

4-Laning of Bilaspur-Pathrapali (Km. 0+000 to Km. 53+300) section of NH-111 (New NH-130) in the state of chhattisgarh under Bharatmala on hybrid Annuity mode Diversion of forest land in the Bilaspur Forest Division for Rehabitation and Upgrading to 4-lane with paved shoulder configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of chhattisgarh: Request for demand Note-reg.

संदर्भ :-

- 1. उपवनमंडलाधिकारी, विलासपुर उपवनमंडल का पु.क. / 1584 दिनांक 04.10.2021
- 2. आपका पत्र क्र. / 13013/3/2020/PD-BSP/BSP-PATHRAPALI/FOREST/8214 दिनांक 04 / 10 / 2021

--00-

विषयांतर्गत विलासपुर-पथरापाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण अंतर्गत MoEF & CC's द्वारा Linear Infrastracutre जैसे की रोड में वन्यप्राणियों की दुर्घटना रोकने हेत् Signages/Signboards लगाने हेतु संयुक्त जांच निरीक्षण प्रतिवेदन उपवनमंडलाधिकारी विलासपुर के संदर्भ क. 02 द्वारा प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर 12 स्थानों का चयन किया गया जिसमें कुल 30 नग Signages/Signboards लगाने हेतु राशि मांग पत्र निम्नानुसार हैं :--

큙.	बोर्ड का प्रकार	साईज	मात्रा	दर	राशि
	Eco friendly Retroreflecto- rized Signboard	1.20 M X 1.80 M	30	27890.00	836700.00

राशि रू. 836700/- (रू. आठ लाख छत्तीस हजार सात सूर्ी मात्र) का डिमांड डाफ्ट वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के नाम देय, जमा करें।

संलग्न :- शून्य।

वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वन्मिडंल बिलासपुर (छ.ग.)

पु.क./तक./5378 प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रवंध/व.सं.अ.), छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क. / 17 दिनांक 15.09.2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

उपवनमंडलाधिकारी, बिलासपुर उपवनमंडल बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अपिता।

वनमञ्जलाधिकारी ब्रिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.) 811017

D:/MS Word/Office L-18

311

दिनांक 29.10.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्र./FC-II/CH-89/2018-NGP/4979 दिनांक 14.02.2019 द्वारा बिलासपुर-पथरापाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति जारी की गयी है। स्वीकृति के बिंदु क. XXV अंतर्गत एवीफौना योजना प्रतिवेदन तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाना है। इसके परिपालन में एवीफौना प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कार्यालयीन आदेश क. / स्था / 250 दिनांक 28.10.2021 द्वारा उपवनमंडलाधिकारी, बिलासपुर की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया।

बैठक में निम्नांकित अधिकारी उपस्थित रहे :-

01. उपवनमंडलाधिकारी, बिलासपुर, 02 उपवनमंडलाधिकारी, कोटा

03. परिक्षेत्र अधिकारी, बिलासपुर, 04 परिक्षेत्र अधिकारी, रतनपुर, 05 परिक्षेत्र अधिकारी, तखतपुर

अंयुक्त समिति द्वारा एवीफौना योजना का प्राक्कलन प्रतिवेदन तैयार कर वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्राक्कलन प्रस्ताव का विवरण

निम्नानसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Green Belt Development	1 Km	1,288,215.00	1,288,215.00
2	Artificial Roosts/nests	60	5,000.00	300,000.00
3	Signages	23	25,000.00	575,000.00
4	कोपरा जलाशय (Habitat Improvement)	L.S.	L.S.	1,000,000.00
5	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं डीपीआर तैयार करना	L.S.	L.S.	200,000.00
	योग :			33,63,215.00

उपरोक्तानुसार प्राक्कलन का परीक्षण किया गया तथा संयुक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राक्कलन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

> वनमंडलाधिकारी लासपुर वन्मिंडल बिलासपुर(छ.ग.) दिनांक.2

पु.क./तक./5.3.7.9 प्रतिलिपि:-

> अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध / व.स.अ), छत्तीसगढ अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

3. उपवनमंडलाधिकारी, बिलासपुर/कोटा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, बिलासपुर/रतनपुर/तखतपुर की ओर सूचनार्श्व अग्रेषित।

वनमङ्गलाधिकारी बिलासपुर वर्जिनंडल बिलासपुर(छ.ग.)

onlineack

D:\MS Word 2018\Karyavahi Vivran.Docx

Page 5

विलासपुर-पथरापाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण योजना अंतर्गत एवीफौना योजना का परियोजना का प्राक्कलन प्रतिवेदन

अ.क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Green Belt Developement			
2	Artificial Roosts/nests	1 Km	1,288,215.00	1,288,215.00
-		60	5,000.00	300,000.00
3	Signages	23	25,000.00	575,000.00
4	कोपरा जलाशय (Habitat Improvement)	L.S.	L.S.	-1,000,000.00
5	अनुश्रवण एवं मूल्याकंन एवं डीपीआर तैयार करना	L.S.	L.S.	200,000.00
-7/20	योग			3,363,215.00

वनपरिक्षेत्राधिकारी तखतपुर (छ.ग.)

वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनपुर (छ.ग.)

वनपुरिक्षेत्राधिकारी बिलासपुर (छ.ग.)

उप वनमण्डलाधिकारी विलासपुर (छ.ग.)

वनमण्डलाधिकारी विलासपुर वनमण्डल विलासपुर (छ.ग.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority Of India (Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्ययन ईकाई, बिलासपुर Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur डी-61, एव.आई.जी.-।, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे तिकत, बिलासपुर (छ.ग.) D-61, HiG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Titra, Bilaspur (C.G.) 495001 दूरभाष : 07752-291604 Phone: 07752-291604

Email: plubilaspur@nhal.org Email: picbilaspur@gmail.com Web : www.nhai.gov.in

boorda



13013/3/2018/PD-BSP/BSP-KATGHORA/FORESTA3881

Date: 04.06.2019

0/6

Divisional Forest Officer **Bilaspur Forest Division** Bilaspur

Sub.:- 4-laning of Bilaspur to Pathrapali from Km.0+000 to Km.53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh in the State of Chhattisgarh under Hybrid Annuity Mode -Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 4- Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur- Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh: Submissions of undertakings - Reg.

Ref.:- Regional Office, Nagpur letter no FC-II/Ch-89/2018-NGP/4979 dated 14/02/2019

Please take reference of Regional Office, Nagpur letter dated 14/02/2019 vide which Stage-I clearance for Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for an area of 24.585 Hectare for the work of 4laning of Bilaspur to Pathrapali from Km.0+000 to Km.53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Hybrid Annuity Mode is conveyed.

Further, CCF, Bilaspur during meeting with PD-Bilaspur conveyed regarding submission of 2. undertakings in respect to all conditions stipulated in aforementioned Regional Office, Nagpur letter no FC-II/Ch-89/2018-NGP/4979 dated 14/02/2019.

Accordingly, poinywise compliance to conditions stipulated in Regional Office, Nagpur letter no FC-

II/Ch-89/2018-NGP/4979 dated 14/02/2019 is produced as below:-

Sr. No.	Conditions Produced as below.	Undertaking/ compliance
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-1)
li	Compensatory Afforestation over the degraded forest land, twice in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency.	आवेदित वन भूमि 24.585 है. के विरूद्ध 51.000 है. में रु.7,26,270/- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजद्री दर के अनुसार नवीन दर से कुल राशि रु.3,70,39,770 /- कैम्पा मद में जमा किया जा चूका है। (अनुलग्नक-2)
lii	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the Compensatory Afforestation, at the current wage rate to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedules for subsequent years.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-3)
iv	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No.5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-4)
٧	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-5)

PILL-BSP/PILI Bilaspur/13013-Bilaspur-Katghora/13013-3-Forest

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200 H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Telephone No. : 011-25074100 / 200

vi	All the funds received from the User Agency under the project, except the funds realized for regeneration demarcation of safety zone, shall be transferred, CAMP through e-challan in the Savings Bank Account pertaining the State concerned.	/ वनमंडलाधिकारी मांग के असमार प्राप्त
vii	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance reserved.	े इस कार्यालय का सहमति पत्र संलान है
viii	Submitted along with the compliance report. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	
ix	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है
×	The User Agency shall arrange to raise strip planation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-9)
xi	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	इस कार्यालय का सहमित पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-10)
xii	The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-11)
xiii	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	इस कार्यालय का सहमित पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-12)
xiv	The User Agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	इस कार्यालय का सहमित पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-13)
xv	The User Agency shall prepared and implement a comprehensive Soil Conservation Plan in the forest area being in consultation with the State Forest Department at the project cost. A plan on the same shall be submitted along with the compliance report of the Stage-I approval.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-14)
xvi	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals will be done in such manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to waterlogging, and also does not hamper movement of wild animals	इस कार्यालय का सहमित पत्र संलग्न है (अनुलग्नकं-15)
cvii	No labour camp shall be established in Forest area.	इस कार्यालय का सहमित पत्र संलम्न है (अनुलग्नक-16)
cviii	The light Adency will provide 6 1	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलम्न है



	damage to nearby forest areas.	
X	The Forest land at the	
	The Forest land shall not be used for any other purpo than specified in Forest proposal.	(अनुलग्नक-17)
X	or The st proposal.	Se इस कार्यालय का सहमित पत्र संलप्न है
1~	THE LAVOUR AL-	(अनुलग्नक-18)
	without prior approval of Central Government.	ed sustantian to
XX	Xi The Forest In	का विस्तात पत्र सलाम है
	The Forest land proposed to be diverted shall under n	(अनुलग्नक-19)
	circumstances be transferred to any other agency	O इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है
- Void	department or person without prior approval of Centra	(अनुलग्नक-20)
XXI	duniage in the fi-	(3.1.141-20)
	shall be caused.	द्या कार्या
xxii	The eviction	इस कार्यालय का सहमित पत्र संलप्न है
	I THE EXISTING CORNIC	(अनुलग्नक-21)
	corresponding to re-alignments, shall be dismantled and	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है
	THE INFORMATION OF ACCUSED A	
xxiv	and be simmitted to a second of bidli co property	
70111		
	and that too under strict supervision of the state forest	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलप्न है
XXV	The User Agency	(3) AN 4014 K
	The User Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitatib	(अनुलग्नक-23)
	shall create and maintain alternate habitat/home for the	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है
	project. Bird's norte	(अनुलग्नक-24)
	made out of eco-triendly	2 3 2 7)
	and numan settlements addition, including forest area	
	diverted for the project	
oxvi	Complete compliance	
	Complete compliance of Schedules Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)	स कार्यालय द्वारा सहमति दी गयी है
	ACL, 2006 shall be and the state of Forest Righter	
	provisions of the MoEF&CC's Guidelines dated 05/07/2013	अनुलग्नक-25)
	and documentary evidences in support of settlement of	
	rights as stipulated in Clause (a) of the Form-I annexed to	
1	the MoEF&CC's advisory dated 05/07/2013 viz. copies of	
	records of meetings and consultations with the Forest Right	
	Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Divisional Level	
cvii	The User Agency shall ask to the Stage-II approval.	
	reports as on 1st January and Monthly self-compliance	amin - C
	reports as on 1st January and 1st July of every year Regional	कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है
- 0	Chhattisgarh State Forest Department (3	नुलग्नक-26)
Alli	The State Government at II	4.
1	conditions of Forest Clearance and shall submit in this	कार्यालय का सहमति पत्र संलम्न है
- 1	regards yearly report as an 24th and stidit submit in this	
ix A	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to the street of t	नुस्तग्नक-27)
1	this Ministry may stipulate, from time to time, in the	कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है
	interest of conservation, protection and development of	लन्नक-28)
	did development of I (34-	Clinico - ZO

premba

	forests & wildlife.	
XXX	NHAI and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-29)
xxxi	Grant of working permission to the extant proposal should be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28/08/2015.	•

This is for your kind information & necessary action.

Thanking you.

Yours Faithfully,

(Narendra Singh) Project Director PIU, Bilaspur

Copy to:-Chief Conservator of Forest, Bilaspur circle.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE

F. No. FC-II/CH-89/2018-NGP/4973

Regional Office (WCZ) Ground Floor, East Wing New Secretariat Building Civil Lines, Nagpur - 440001 apccfcetral-ngp-mef@gov.in

Dated: 14th February, 2019

Jo

The Principal Secretary (Forests), Government of Chhattisgarh, Forest Department, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, New Raipur (CG).

Sub: Diversion of 24.585 ha of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4- Lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur - Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh – regarding.

Sir.

I am directed to refer to the State Government of Chhattisgarh's letter no. F-5-31/2018/10-2 dated 18.09.2018 on the above subject seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 and Addl. PCCF& Nodal Officer (FCA), Government of Chhattisgarh's letter no. Bhu-Prabandh/Vividh/115-737/3462 dated 12.10.2018, Bhu-Prabandh/Vividh /115-737/4218 dated 22.12.2018 and forwarding additional information as desired by Regional Office vide letters of even number dated 26.09.2018 and 18.10.2018 to say that the said proposal has been examined and approved by the Regional Empowered Committee constituted under Section - 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the approval of the proposal by the Regional Empowered Committee, the Central Government hereby accords 'in-principle' approval under Section - 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 24.585 ha of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4- Lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur - Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh, subject to the fulfilment of the following conditions:

- i. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;
- ii. Compensatory afforestation over the degraded forest land, twice in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency:
- iii. The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;
- iv. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard;
- v. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;
- vi. All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred CAMPA through e-challan in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned;

whyc

- vii. State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report.
- viii. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;
- ix. The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;
- x. The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years.
- xi. Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.
- xii. The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.
- xiii. Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
- xiv. The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable;
- xv. The User Agency shall prepare and implement a comprehensive Soil Conservation Plan in the forest area being in consultation with the State Forest Department at the project cost. A Plan on the same shall be submitted along with the compliance report of the Stage-I approval;
- xvi. The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to waterlogging, and also does not hamper movement of wild animals.
- xvii. No labour camp shall be established on the forest land;
- xviii. The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
- xix. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;
- xx. The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.
- xxi. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;
- xxii. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;
- xxiii. The existing carriageway in the forest area, in the patches corresponding to re-alignments, shall be dismantled and land shall be handed over back to the State Forest Department. A reclamation plan by planting suitable species of trees be prepared in consultation with the Forest Department and the amount so required will be deposited with the forest department by the user agency for taking up reclamation of the area. Exact extant of area to be recovered may be reported. A copy of plan so prepared shall be submitted to Regional Office, Nagpur.
- xxiv. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;
- xxv. The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests

sbyc

artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;

- xxvi. Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 shall be submitted in accordance with the provisions of the MoEF&CC's Guidelines dated 5.07.2013 and documentary evidences in support of settlement of rights as stipulated in clause (a) of the Form-I annexed to the MoEF&CC's advisory dated 5.07.2013 viz. copies of records of meetings and consultations with the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Divisional Level Committee shall be submitted before Stage-II approval.
- xxvii. The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State;
- xxviii. The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year;
- xxix. Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife:
- xxx. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project; and
- xxxi. Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015.

After receipt of a satisfactory compliance report from the State Government in respect of conditions no. (iii), (iv), (vi), (vii), (xv), (xxiii), (xxv) (xxvi) and undertakings in respect of all other conditions, duly authenticated by the competent authority in the State Government, the proposal will be considered for grant of Stage-II approval under the Forest (Conservation) Act, 1980.

Yours faithfully,

Whye

(Dr. E. Arockia Lenin) Scientist 'C'

Copy to:

1. The PCCF, Government of Chhattisgarh, Raipur

2. The Nodal Officer FCA), O/o of the PCCF, Government of Chhattisgarh, Raipur.

- 3. Director (RoHQ), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi.
- 4. User Agency.

5. Guard File.

-sd-

(Dr. E. Arockia Lenin) Scientist 'C'